रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 159] नई दिल्ली, सोमवार, मई 11, 2015/वैशाख 21, 1937
No. 159] NEW DELHI, MONDAY, MAY 11, 2015/VAISAKHA 21, 1937

IndiaCode

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015

नई दिल्ली, 11 मई, 2015

सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/8.—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (छ), खंड (ज) और खंड (झ) के साथ पठित उसकी उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :--

अध्याय 1
प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 है।

"इन विनियमों का उद्देश्य राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास और प्रत्याहरण के समय अभिदाताओं के हित में एक प्रभावी तंत्र जिसमें व्यक्तिगत पेंशन खाता से प्रत्याहरण के लिए निबंधनों, उद्देश्य, आवृत्ति और सीमाएं शामिल हैं साथ ही वे शर्तें भी जिनके आधार पर अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास और उसके पश्चात् वार्षिकी का क्रय करेगा, उपलब्ध कराना है।"

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं—**(1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) अभिप्रेत है ;

(ख) "संचित पेंशन धन " से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन किसी अभिदाता के स्थायी सेवानिवृत्त खाते में संचित पेंशन विनिधानों का मुद्रामूल्य अभिप्रेत है ;

(ग) "संकलनकर्ता" से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली स्वावलंबन् के अधीन अभिदाता के अंतरानीक कृत्यों को करने के लिए अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (3) के अधीन प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकृत ऐसा मध्यवर्ती अभिप्रेत है जिसका कुछ सामाजिक-आर्थिक माल या सेवाओं के लिए ज्ञात ग्राहक आधार के साथ कृत्यकारी संबंध होगा ;

(घ) "वार्षिकी सेवा प्रदाता" से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकृत और विनियमित कोई जीवन बीमा कंपनी अभिप्रेत है और जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अभिदाताओं को वार्षिक सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्राधिकरण द्वारा सूची में सम्मिलित है ;

(ङ) "भारत का नागरिक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो नागरिकता अधिनियम,1955 (1955 का 57) के अधीन भारत का नागरिक होने के लिए अर्हित है ;

(च) "अनुपालन अधिकारी" से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास से कोई जिम्मेदार व्यक्ति या कोई अन्य मध्यवर्ती या अस्तित्व अभिप्रेत है जिसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाताओं से प्रत्याहरण दावों को प्राप्त करने, प्रक्रमण और परिनिर्धारण की जिम्मेदारी सौंपी गई है और जिसे अधिनियम या प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नियमों या विनियमों या समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं, मार्गदर्शक सिद्धांतों या अनुदेशों के अनुपालन को किए जाने को मानीटर करने के उत्तरदायित्व का भार सौंपा गया है ;

(छ) "सरकारी सेक्टर का अभिदाता" से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों के नोडल कार्यालयों के माध्यम से दर्ज और केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण द्वारा उस रूप में रजिस्ट्रीकृत कोई अभिदाता अभिप्रेत है ;

(ज) "राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली-लाइट" से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन ऐसी स्कीम अभिप्रेत है जिसमें असंगठित सेक्टर से, जिसकी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली-स्वावलंबन् एक ऐसा संघटक है, जिसमें भारत सरकार का अभिदाय अनुज्ञेय है, संबंधित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के आशावान समूह माडल की एक विशेषता का उपबंध है ;

(झ) "स्थायी सेवानिवृत्त खाता संख्यांक (पीआरएएन)" से केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण द्वारा प्रत्येक अभिदाता को आबंटित विशिष्ट पहचान संख्या अभिप्रेत है ;

(ञ) "स्वावलंबन् अभिदाता" से ऐसा अभिदाता अभिप्रेत है जिसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण द्वारा उस रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है और जहां भारत सरकार का सह अभिदाय अनुज्ञेय है।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त और परिभाषित न किए गए किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों का वही अर्थ होगा जो क्रमश: अधिनियम में उनका है ।

अध्याय 2

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास के प्रयोजनों के लिए अभिदाताओं को (1) सरकारी सेक्टर, (2) सर्वनागरिक सहित कारपोरेट सेक्टर और(3) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली – लाइट और स्वावलंबन् अभिदाताओं के रूप में प्रवर्गीकृत और परिभाषित किया गया है । तदनुसार इसके अधीन विनिर्दिष्ट निकास संबंधी विनियम उस प्रवर्ग को लागू होंगे जिसके अभिदाता हैं ।

3. सरकारी सेक्टर के अभिदाताओं का राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास.—सरकारी सेक्टर का कोई अभिदाता, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से नीचे विनिर्दिष्ट रीतियों में बाहर आएगा, अर्थात् :--

(क) जहां अभिदाता, जो उसे लागू सेवा नियमों द्वारा यथाविहित अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होता है या होती है, वहां ऐसे अभिदाता के संचित पेंशन धन में से कम से कम चालीस प्रतिशत अनिवार्य रूप से किसी मासिक या किसी अन्य कालिक पेंशन का उपबंध करने के लिए वार्षिकी करने के लिए उपयोजित की जाएगी और ऐसे उपयोजन के पश्चात् संचित पेंशन धन का अतिशेष एकमुश्त रूप में अभिदाता को संदत्त किया जाएगा :

परंतु,-

(i)निम्न डिफाल्ट वार्षिकी संविदा होगी जो कि लागू होगी और जिसके अंतर्गत् वार्षिकी संविदा में अभिदाता को जीवन के लिए वार्षिकी और उसके पति या पत्नी (यदि कोई हो) के लिए वार्षिकी, वार्षिकी की क्रय कीमत की वापसी के उपबंध के साथ, और ऐसे अभिदाता की मृत्यु हो जाने पर, वार्षिकी, वार्षिकी संविदा के अधीन वापस किए जाने की अपेक्षित क्रय कीमत का उपयोग करके ऐसी वार्षिकी के क्रय किए जाने के समय विद्यमान प्रीमियम दर पर, उसके अधीन विनिर्दिष्ट क्रम में (जब तक सभी सदस्य निम्नलिखित क्रम में पूरे नहीं हो जाते) कुटुम्ब के सदस्यों को पुन: जारी की जाएगी :

(क) मृतक अभिदाता की जीवित आश्रित माता;

(ख) मृतक अभिदाता के जीवित आश्रित पिता ।

ऊपर विनिर्दिष्ट कुटुम्ब के सभी सदस्य पूरे होने के पश्चात् ऐसी क्रय कीमत, अभिदाता के जीवित बच्चों और बच्चों के न होने पर अभिदाता के विधिक वारिस को, जो लागू हो, वापस कर दी जाएगी।

उन अभिदाता को जो उपरोक्त वर्णित डिफाल्ट विकल्प से बाहर निकलना चाहते हैं और उपलब्ध वार्षिकी प्रकारों में से अपनी पसंद की वार्षिकी संविदा का चयन करना चाहते हैं अथवा वार्षिकी सेवा प्रदाताओं के साथ संविदा करना चाहते हैं, उस विकल्प को चुनाव विशेषरूप से करना अपेक्षित होगा।

(ii) जहां अभिदाता अनिवार्य रूप से वार्षिकी क्रय करने के पश्चात् अतिशेष रकम के प्रत्याहरण की वांछा नहीं करता है वहां ऐसे अभिदाता के पास तब तक एकमुश्त रकम के प्रत्याहरण को आस्थगित करने का विकल्प होगा जब तक वह सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता या लेती है, परंतु अभिदाता, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी मध्यवर्ती या इकाई को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व लिखित रूप में विनिर्दिष्ट प्रारूप में ऐसा करने के अपने आशय की सूचना देगा या देगी ।

(iii) जहां अभिदाता वार्षिकी के क्रय को आस्थगित करने की वांछा करता या करती है, वहां उसके पास अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तारीख से तीन वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए ऐसा करने का विकल्प होगा परंतु अभिदाता, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी मध्यवर्ती या इकाई को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व लिखित रूप में विनिर्दिष्ट प्रारूप में ऐसा करने के अपने आशय की सूचना देगा या देगी । वार्षिकी क्रय करने को ऐसे आस्थगित करने के विकल्प की एक पुरोभाव्य शर्त यह होगी कि यदि अभिदाता की मृत्यु आस्थगन के पश्चात् वार्षिकी क्रय किए जाने की ऐसी नियत तारीख के पहले हो जाती है तो वार्षिकी अनिवार्य रूप से पति या पत्नी द्वारा (यदि कोई हो) वार्षिकी की क्रय कीमत की वापसी के उपबंध के साथ पति या पत्नी के लिए आजीवन वार्षिकी प्रदान करने के लिए क्रय की जाएगी और ऐसे पति या पत्नी की मृत्यु हो जाने पर संविदा के अधीन वापस किए जाने की अपेक्षित क्रय कीमत का उपयोग करके वार्षिकी के क्रय के समय पर विद्यमान प्रीमियम दर पर इसके अधीन उपबंधित अधिमानता के क्रम में (जब तक सभी सदस्य निम्नलिखित क्रम में पूरे नहीं हो जाते) कुटुम्ब के सदस्यों को पुन: जारी की जाएगी :

(क) मृतक अभिदाता की जीवित आश्रित माता;

(ख) मृतक अभिदाता के जीवित आश्रित पिता ।

सभी सदस्य पूरे होने के पश्चात् ऐसी क्रय कीमत, अभिदाता के जीवित बच्चों और बच्चों के न होने पर अभिदाता के विधिक वारिस को, जो लागू हो, वापस कर दी जाएगी ।

(iv) जहां अभिदाता एकमुश्त रकम के प्रत्याहरण या वार्षिकी क्रय करने को आस्थगित करने की वांछा करता हैं, वहां अभिदाता को ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परंतु अभिदाता को स्थायी सेवानिवृत्त खाता, अनुरक्षण प्रभार, जिसके अंतर्गत केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण, पेंशन निधि, न्यासी बैंक या कोई अन्य मध्यवर्ती, जो समय-समय पर लागू हो, को संदेय प्रभार भी हैं, वहन करने के लिए सहमत हो ।

(v) जहां अभिदाता के स्थायी सेवानिवृत्ति खाते में का संचित धन दो लाख रुपए की धनराशि के बराबर या उससे कम है, वहां अभिदाता को वार्षिकी क्रय किए बगैर पूरा संचित पेंशन धन प्रत्याहरण करने का विकल्प होगा और इस विकल्प का प्रयोग करने पर अभिदाता को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन या सरकार से ऐसी कोई पेंशन या अन्य रकम प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा ;

(ख) जहां अभिदाता, जो उसे लागू सेवा नियमों द्वारा विहित अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के पूर्व स्वैच्छिक रूप से निवृत्त हो जाता है या बाहर हो जाता है, वहां अभिदाता के संचित पेंशन धन का कम से कम अस्सी प्रतिशत अनिवार्य रूप से वार्षिकी क्रय करने के लिए उपयोजित किया जाएगा और ऐसे उपयोजन के पश्चात् संचित पेंशन धन के अतिशेष का एकमुश्त रूप से भुगतान अभिदाता को कर दिया जाएगा :

परंतु वार्षिकी संविदा में अभिदाता और उसका पति या पत्नी (यदि कोई हो) के जीवन के लिए वार्षिकी, वार्षिकी की क्रय कीमत की वापसी के उपबंध के साथ, और ऐसे अभिदाता की मृत्यु हो जाने पर, वार्षिकी, वार्षिकी संविदा के अधीन वापस किए जाने की अपेक्षित क्रय कीमत का उपयोग करके ऐसी वार्षिकी के क्रय किए जाने के समय विद्यमान प्रीमियम दर पर, उसके अधीन विनिर्दिष्ट क्रम में (जब तक सभी सदस्य निम्नलिखित क्रम में पूरे नहीं हो जाते) कुटुम्ब के सदस्यों को पुन: जारी की जाएगी :

(i) मृतक अभिदाता की जीवित आश्रित माता;

(ii) मृतक अभिदाता के जीवित आश्रित पिता।

ऊपर विनिर्दिष्ट कुटुम्ब के सभी सदस्य पूरे होने के पश्चात् ऐसी क्रय कीमत, अभिदाता के जीवित बच्चों और बच्चों के न होने पर अभिदाता के विधिक वारिस को, जो लागू हो, वापस कर दी जाएगी :

परंतु यदि अभिदाता का संचित पेंशन धन एक लाख रुपए से अधिक है किन्तु अभिदाता की आयु, सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाताओं में से किसी प्रदाता से, जिसका ऐसे अभिदाता द्वारा चुनाव किया गया है, कोई वार्षिकी क्रय करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु से कम है, तो ऐसा अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में तब तक अभिदाय करता रहेगा जब तक वह कोई वार्षिकी क्रय करने की पात्रता आयु प्राप्त नहीं कर लेता या लेती है :

परंतु यह और कि यदि अभिदाता का संचित पेंशन धन एक लाख रुपए के बराबर या उससे कम है तो ऐसे अभिदाता को कोई वार्षिकी क्रय किए बगैर पूरे संचित पेंशन धन का प्रत्याहरण करने का विकल्प होगा और इस विकल्प का प्रयोग करने पर अभिदाता का राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन कोई पेंशन या अन्य रकम प्राप्त करने का अधिकार निर्वापित हो जाएगा और अभिदाता द्वारा ऐसे किसी विकल्प के प्रयोग को , विनियमों के अधिसूचित होने से पूर्व, इन विनियमो के अनुसार किया गया माना जाएगा।

(ग) जहां ऐसा अभिदाता, जिसकी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के पहले मृत्यु हो जाती है वहां अभिदाता के संचित पेंशन धन का कम से कम अस्सी प्रतिशत भाग का अनिवार्य रूप से वार्षिकी क्रय करने के लिए उपयोग किया जाएगा और अतिशेष पेंशन धन एकमुश्त रूप से ऐसे अभिदाता के, यथास्थिति, नामिति या नामितियों को या विधिक वारिसों को भुगतान कर दिया जाएगा :

परंतु,-

(i) वार्षिकी संविदा में पति या पत्नी (यदि कोई हो) को जीवन के लिए वार्षिकी, वार्षिकी की क्रय कीमत की वापसी के उपबंध के साथ, वार्षिकी का उपबंध और ऐसे पति या पत्नी की मृत्यु हो जाने पर, वार्षिकी, वार्षिकी संविदा के अधीन वापस किए जाने की अपेक्षित क्रय कीमत का उपयोग करके ऐसी वार्षिकी के क्रय किए जाने के समय विद्यमान प्रीमियम दर पर, उसके अधीन विनिर्दिष्ट क्रम में (जब तक सभी सदस्य निम्नलिखित क्रम में पूरे नहीं हो जाते) कुटुम्ब के सदस्यों को पुन: जारी की जाएगी :

(क) मृतक अभिदाता की जीवित आश्रित माता

(ख) मृतक अभिदाता के जीवित आश्रित पिता।

सभी सदस्य पूरे होने के पश्चात् ऐसी क्रय कीमत, जो लागू हो, अभिदाता के जीवित बच्चों और बच्चों के न होने पर अभिदाता के विधिक वारिस को वापस कर दी जाएगी ।

परन्तु यह और कि यदि अभिदाता की मृत्यु के समय उसके स्थायी सेवानिवृत्ति खाते में का संचित धन दो लाख रूपये की धन राशि के बराबर या उससे कम है, वहां उसके नामिति अथवा विधिक वारिस जैसा भी मामला हो, को वार्षिकी क्रय किए बगैर पूरा संचित पेंशन धन प्रत्याहरण करने का विकल्प होगा इस विकल्प का प्रयोग करने पर परिवार के सदस्यों का राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन कोई पेंशन या अन्य रकम प्राप्त करने का अधिकार निर्वापित हो जाएगा।

4. सर्व नागरिकों का जिसके अंतर्गत कारपोरेट सेक्टर के अभिदाता भी हैं, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास.- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई अभिदाता, जिसके अंतर्गत कारपोरेट सेक्टर का अभिदाता भी है, नीचे दी गई विनिर्दिष्ट रीति में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से बाहर होगा, अर्थात् :--

(क) जहां कोई अभिदाता साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, या ऐसे अभिदाता को लागू सेवा नियमों के अनुसार उसकी अधिवर्षिता हो जाती है, वहां ऐसा होने पर भी ऐसे अभिदाता के संचित पेंशन धन में से कम से कम चालीस प्रतिशत भाग का अनिवार्य रूप से, मासिक या किसी अन्य कालिक पेंशन का उपबंध करने के लिए वार्षिकी क्रय करने के लिए उपयोग किया जाएगा और ऐसे उपयोजन के पश्चात् संचित पेंशन धन के अतिशेष का एकमुश्त रूप से अभिदाता को भुगतान कर दिया जाएगा । यदि अभिदाता का संचित पेंशन धन दो लाख रुपए की राशि के बराबर है या उससे कम है, तो अभिदाता के पास कोई वार्षिकी क्रय किए बगैर पूरा संचित पेंशन धन के प्रत्याहरण का विकल्प होगा :

परंतु,-

(i) सत्तर वर्ष से अनधिक का अभिदाता, लिखित में सूचना देते हुए इस प्रकार विनिर्दिष्ट साठ वर्ष की आयु या अधिवर्षिता की आयु के पश्चात् राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में जब तक वह अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते में अभिदाय करना चाहे, अभिदाय करना जारी रख सकता है ।

ऐसी सूचना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी मध्यवर्ती या इकाई को दी जाएगी । ऐसी सूचना देने पर भी अभिदाता, किसी समय राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी मध्यवर्ती या इकाई को लिखित में अनुरोध करते हुए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास कर सकेगा ;

(ii) अभिदाता के पास, जब तक वह सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता या लेती है, तब तक एकमुश्त रकम के प्रत्याहरण को आस्थगित करने का विकल्प होगा, परंतु अभिदाता, राष्ट्रीय पेंशन न्यास या इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी मध्यवर्ती या इकाई को, यथास्थिति, साठ वर्ष की आयु या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व लिखित रूप में विनिर्दिष्ट प्ररूप में ऐसा करने के अपने आशय की सूचना देगा या देगी ;

(iii) अभिदाता के पास, यथास्थिति, साठ वर्ष की आयु या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तारीख से तीन वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए वार्षिकी के क्रय को आस्थगित करने का विकल्प होगा, परंतु अभिदाता, राष्ट्रीय पेंशन न्यास या इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी मध्यवर्ती या इकाई को, यथास्थिति, साठ वर्ष की आयु या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व लिखित रूप में विनिर्दिष्ट प्ररूप में ऐसा करने के अपने आशय की सूचना देगा या देगी ;

(iv) अभिदाता को अभिदाय जारी रखने के लिए, यथास्थिति, वार्षिकी की रकम एकमुश्त प्रत्याहरण या उसके क्रय को आस्थगित करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परंतु अभिदाता को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता का अनुरक्षण प्रभार, जिसके अंतर्गत केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण, पेंशन निधि, न्यासी बैंक या कोई अन्य मध्यवर्ती, जो समय-समय पर लागू हो, को संदेय प्रभार भी है, का वहन करने के लिए सहमत हों ;

(ख) जहां अभिदाता, जो साठ वर्ष की आयु या सेवा नियमों द्वारा यथाविहित अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से पूर्व स्वैच्छिक रूप से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास की वांछा करता है, ऐसे अभिदाता को केवल इस आधार पर विकल्प का प्रयोग करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा यदि वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में न्यूनतम दस वर्ष से अभिदाय कर रहा हो। ऐसी स्थिति में ऐसे अभिदाता के संचित पेंशन धन का कम से कम अस्सी प्रतिशत भाग का अनिवार्य रूप से वार्षिकी क्रय करने के लिए उपयोग किया जाएगा और ऐसे उपयोजन के पश्चात् संचित पेंशन धन का अतिशेष एकमुश्त रूप से अभिदाता को भुगतान कर दिया जाएगा: परंतु यदि अभिदाता का संचित पेंशन धन एक लाख रुपए से अधिक है किन्तु, सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाताओं में से किसी प्रदाता से, जिसका ऐसे अभिदाता द्वारा चुनाव किया गया है, कोई वार्षिकी क्रय करने के लिए अभिदाता की आयु अपेक्षित न्यनूतम आयु से कम है, तो ऐसा अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में तब तक अभिदाय करता रहेगा जब तक वह कोई वार्षिकी क्रय करने की पात्रता आयु प्राप्त नहीं कर लेता या लेती है :

परंतु यह और कि यदि अभिदाता के स्थायी सेवानिवृत्त खाते में संचित पेंशन धन एक लाख रुपए के बराबर या उससे कम है तो ऐसे अभिदाता को कोई वार्षिकी क्रय किए बगैर पूरे संचित पेंशन धन का प्रत्याहरण करने का विकल्प होगा ;

(ग) जहां अभिदाता की मृत्यु, साठ वर्ष की आयु या सेवा नियमों द्वारा यथाविहित अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के पूर्व हो जाती है, वहां अभिदाता का संपूर्ण संचित पेंशन धन, ऐसे अभिदाता के, यथास्थिति, नामिति या नामितियों या विधिक वारिसों को भुगतान कर दिया जाएगा :

परंतु,-

(i) मृतक अभिदाता के नामिति या कुटुंब के सदस्यों को ऐसी कोई वार्षिकी, जिसकी निकास के समय प्रस्थापना की गई है, क्रय करने का विकल्प होगा यदि वे, मृतक अभिदाता के स्थायी सेवानिवृत्ति खाते के मद्दे लाभों के प्रत्याहरण के लिए आवेदन करते समय ऐसी वांछा करते हैं ;

(ii) यदि मृतक अभिदाता द्वारा उसकी मृत्यु के पूर्व नामितिकरण नहीं किया जाता है तो संबंधित राज्य के राजस्व प्राधिकारियों द्वारा जारी विधिक वारिस प्रमाणपत्र या सक्षम प्राधिकारिता के न्यायालय द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के आधार पर कुटुंब के सदस्यों को संचित पेंशन धन भुगतानकर दिया जाएगा ।

(5) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली – लाइट और स्वावलंबन् अभिदाताओं द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन एनपीएस –लाइट या स्वावलंबन् अभिदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत कोई अभिदाता नीचे विनिर्दिष्ट रीति में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास कर सकता है, अर्थात् :--

(क) अभिदाता द्वारा, साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ऐसे अभिदाता के संचित पेंशन धन का कम से कम चालीस प्रतिशत भाग का अनिवार्य रूप से मासिक या अन्य कालिक पेंशन का उपबंध करने के लिए वार्षिकी क्रय किए जाने के लिए उपयोग किया जाएगा और ऐसे उपयोजन के पश्चात् संचित पेंशन धन का एकमुश्त रूप से भुगतान अभिदाता को कर दिया जाएगा।:

परन्तु-

(i) स्वावलंबन् अभिदाता के लिए, अभिदाता के संचित पेंशन धन का न्यूनतम चालीस प्रतिशत भाग अनिवार्य रूप से उपयोजित करके क्रय की गई वार्षिकी से कम से कम एक हजार रूपये मासिक वार्षिकी या पेंशन दी जाएगी, इसमें असफल रहने पर संपूर्ण संचित पेंशन धन का ऐसी रीति में वार्षिकी विनियोग किया जाएगा जिससे कम से कम एक हजार रुपए की मासिक वार्षिकी या पेंशन दी जा सके और इसके पश्चात् अतिशेष का, भुगतान यदि कोई हो, अभिदाता को एकमुश्त रूप से कर दिया जाएगा । तथापि इसमें ऐसी राशि को अव्यक्त या सुव्यक्त गारंटी नहीं होगी कि संपूर्ण संचित पेंशन धन से क्रय की गई वार्षिकी से मासिक रूप से वार्षिकी या पेंशन एक हजार रुपए दी जाएगी ;

(ii) यदि अभिदाता का संचित पेंशन धन एक लाख रुपए के बराबर या उससे कम है तो ऐसे अभिदाता को कोई वार्षिकी क्रय किए बगैर पूर संचित पेंशन धन का प्रत्याहरण करने का विकल्प होगा और इस विकल्प का प्रयोग करने पर अभिदाता का राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन कोई पेंशन या अन्य रकम प्राप्त करने का अधिकार निर्वापित हो जाएगा और अभिदाता द्वारा ऐसे किसी विकल्प के प्रयोग को , विनियमों के अधिसूचित होने से पूर्व, इन विनियमो के अनुसार किया गया माना जाएगा।

(ख) तथापि इस बात के अधीन रहते हुए कि साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व किसी भी समय संचित पेंशन धन का कम से कम अस्सी प्रतिशत भाग अनिवार्य रूप से वार्षिकी क्रय किए जाने के लिए उपयोजित किया जाएगा और ऐसे उपयोजन के पश्चात् अतिशेष संचित पेंशन धन का एकमुश्त भुगतान अभिदाता को कर दिया जाएगा :

स्वावलंबन् अभिदाता के लिए, अभिदाता के संचित पेंशन धन का न्यूनतम चालीस प्रतिशत भाग अनिवार्य रूप से उपयोजित करके क्रय की गई वार्षिकी से कम से कम एक हजार रुपये मासिक वार्षिकी या पेंशन दी जाएगी, इसमें असफल रहने पर संपूर्ण संचित पेंशन धन का ऐसी रीति में वार्षिकी विनियोग किया जाएगा जिससे कम से कम एक हजार रुपए की मासिक वार्षिकी या पेंशन दी जा सके और इसके पश्चात् अतिशेष का, भुगतान यदि कोई हो, अभिदाता को एकमुश्त रूप से कर दिया जाएगा । तथापि इसमें ऐसी राशि को अव्यक्त या सुव्यक्त गारंटी नहीं होगी कि संपूर्ण संचित पेंशन धन से क्रय की गई वार्षिकी से मासिक रूप से वार्षिकी या पेंशन एक हजार रुपए दी जाएगी ; परंतु यह और कि इस खंड के उपबंधों के अधीन रहते हुए जहां संचित पेंशन धन एक लाख रुपए से अधिक नहीं है वहां यदि अभिदाता ने न्यूनतम पच्चीस वर्ष की अवधि तक स्कीम में अभिदाय जारी रखा है तो बिना किसी वार्षिकी विनियोग के संपूर्ण पेंशन धन का अभिदाता को भुगतान कर दिया जाएगा;

परन्तु यह और कि अभिदाताओं अथवा स्वावलम्बन अभिदाताओं का भारत सरकार की किसीअन्य पेंशन योजना में प्राधिकरण की अनुज्ञा से किये गये प्रवसन को इन विनियमों के प्रयोजनार्थ निकास और आहरण नहीं माना जाएगा।

(ग) जहां अभिदाता, जिसकी साठ वर्ष की आयु प्राप्त होने के पूर्व मृत्यु हो जाती है वहां अभिदाता का संपूर्ण संचित पेंशन धन काऐसे अभिदाता के नामितिया विधि वारिस को भुगतान कर दिया जाएगा और इसमें अनिवार्य रूप से वार्षिकी क्रय करने और मासिक या कालिक पेंशन के उपबंध की कोई शर्त नहीं होगी तथा इसमें ऐसे मृतक अभिदाता से संचित पेंशन धन के वार्षिकी विनियोग की कोई अपेक्षा नहीं होगी । मृतक अभिदाता के नामिति या उसके कुटुंब के सदस्यों को, यदि वे ऐसी वांछा करें तो निकास के लिएप्रस्थापित की गई कोई वार्षिकी क्रय करने का विकल्प होगा :

परन्तु यह कि जहां अभिदाता द्वारा उसकी मृत्यु के पूर्व नामितिकरण नहीं किया जाता है तो संबंधित राज्य के राजस्व प्राधिकारियों द्वारा जारी विधिक वारिस प्रमाणपत्र या सक्षम प्राधिकारिता के न्यायालय द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के आधार पर कुटुंब के सदस्यों को संचित पेंशन धन का भुगतान कर दिया जाएगा।

6. निकास या प्रत्याहरण के लिए आवेदन की शर्तें—राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई अभिदाता का निकास और अभिदाता के स्थायी सेवानिवृत्ति खाते के टीयर । में के संचित पेंशन धन से प्रत्याहरण नीचे यथा विनिर्दिष्ट के सिवाय अनुज्ञात नहीं होगा, अर्थात् :--

(क) पूर्व या वर्तमान सेवाओं के मद्दे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन स्थायी सेवानिवृत्ति खाते के टीयर । में की कोई पेंशन या संचित पेंशन धन, जो विनियम 8 में यथाविहित उस सीमा तक निर्बंधित होगा, वहां के सिवाय जहां राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि ने अभिदाता के पेंशन खाते में संचित पेंशन धन के समनुदेशन के लिए पूर्व मंजूरी दी है, लेनदार की प्रेरणा पर किसी न्यायालय की आदेशिका

द्वारा अभिदाता के विरुद्ध किसी मांग के लिए या किसी ऐसे न्यायालय की डिक्री या आदेश की तुष्टि के लिए अभिग्रहण, कुर्की या परिबद्धकरण के लिए दायी नहीं होगा ;

(ख) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के किसी अभिदाता द्वारा, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन ऐसे अभिदाता की ऐसी किसी लाभके संबंध में या उसके मद्दे संदेय किसी धनराशि के संबंध में या उसमें कोई भावी ब्याज देने या उसके समनुदेशन के लिए किया गया किसी प्रकार का कोई समनुदेशन, गिरवी, संविदा, आदेश, विक्रय या प्रतिभूति, सिवाय वहां के अकृत्य और शून्य होगा जहां राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि ने अभिदाता के पेंशन खाते में संचित पेंशन धन के ऐसे समनुदेशन की पूर्व अनुज्ञा दी है और जो नियम 8 में यथा विहित ऐसी सीमा तक निर्बंधित होगी जिस तक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सहमत था या उसका अनुमोदन किया था ;

(ग) यथास्थिति, भारत का राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल, यदि अभिदाता के नियोजन को शासित करने वाले सेवा नियमों में ऐसा उपबंधित है तो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को कारित संपूर्ण धनीय हानि या उसके किसी भाग की वसूली के प्रयोजन के लिए अभिदाता के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाते के टीयर ।खाते में नियोजक के रूप में केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा किए गए सह अभिदाय के माध्यम से संचित पेंशन धन का भाग या उस पर प्रोद्भूत विनिधान आय को विधारित करने के अधिकार को उलट सकेगा, परंतु ऐसी हानि, संबंधित नियोजक द्वारा ऐसे अभिदाता के विरुद्ध आरंभ की गई किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों में सिद्ध होनी चाहिए । राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या किसी ऐसी इकाई को, जिसे ऐसा प्राधिकार दिया गया है, दी गई किसी सूचना के अनुसरण में और अभिदाता के उक्त पेंशन धन के प्रतिधारण की ईप्सा से विधारण के ऐसे अधिकार का अभिदाता की अधिवर्षिता की तारीख से पहले प्रयोग किया जाएगा । विधारण के ऐसे अधिकार का विधिमान्यत: प्रयोग किए जाने पर :--

(i) ऐसा पेंशन धन, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन भुगतान योग्य है, अभिदाता को तब तक भुगतान नहीं किया जाएगा, जब तक, यथास्थिति, विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों का निष्कर्ष और ऐसी कार्यवाहियों के संबंध में अंतिम आदेश में पारित नहीं कर दिया जाता है;

(ii) उपखंड (i) में यथाविनिर्दिष्ट विधारित रकम का, स्कीम में, ऐसी पद्धति और रीति में अभिदाय के रूप में बनी रहेगी, जिसमें संबंधित सरकार द्वारा ऐसी कार्रवाई को अपनाकर रखा गया था और विधारित रकम का अंतिम परिनिर्धारण राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी मध्यवर्ती या अन्य इकाई द्वारा सामान्यतः संबंधित सरकार से समुचित आदेश के प्राप्त होने के नब्बे दिन के भीतर किया जाएगा ;

(iii) विधारित रकम का, उस संबंधित सरकारी विभाग द्वारा, जिसने ऐसे फायदे को विधारित करने की ईप्सा की थी, यथा प्रमाणित अंतिम परिनिर्धारण पर अभिदाता को भुगतान कर दिया जाएगा हो जाएगी । वह यथा संभव शीघ्र अभिदाता को संदत्त भुगतानकर दिया जाएगा और यह प्रत्येक दशा में ऐसा भुगतान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अन्य इकाई या व्यक्ति द्वारा अंतिम आदेश की प्राप्ति के नब्बे दिन के भीतर किया जाएगा;

(ड.) यदि अभिदाता या अभिदाता की मृत्यु पर उसके कुटुम्ब के सदस्य, सरकार द्वारा उपबंधित मृत्यु या नि:शक्तता संबंधी अतिरिक्त अनुतोष के विकल्प का उपभोग करते हैं तो सरकार को अभिदाता का संपूर्ण संचित धन अपने पास समायोजित करने या अंतरण किए जाने का अधिकार होगा । ऐसे फायदे का उपभोग करने वाला अभिदाता या अभिदाता के कुटुम्ब के सदस्य ऐसे सरकारी प्राधिकरण से कुटुम्ब पेंशन या नि:शक्तता पेंशन या कोई अन्य पेंशन संबंधी प्रसुविधा के स्थान पर विनिर्दिष्ट रूप से और बिना शर्त सरकार को संपूर्ण संचित पेंशन धन अंतरित करने के लिए सहमत होंगे और इसका वचन देंगे ;

(च) प्राप्त होने योग्य सभी फायदे, जिसके अंतर्गत इन विनियमों के अधीन यथाविनिर्दिष्ट वार्षिकी का क्रय किया जाना भी है, इन विनियमों या ऐसे किन्हीं मार्गदर्शक सिद्धांतों, आदेश या अधिसूचना, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएं, के अनुसार प्रत्याहरण संबंधी आवेदन पर कार्यवाही करने के पश्चात्

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण या प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अन्य इकाई द्वारा संदत्त किए जाएंगे ;

(छ) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन टीयर । खाते से निकास करने वाले अभिदाता का टीयर ।। खाते में रखी धनराशि का भी मुद्रीकरण कर दिया जाएगा और साथ ही साथ उपयुक्त फायदे का भुगतान करके बंद कर दिया जाएगा ।

अध्याय 3
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन प्रत्याहरण, प्रयोजन, आवृत्ति और सीमाएं

7. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन प्रत्याहरण की शर्तें :-

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की ओर से कार्य करने वाला केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण या उक्त प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य इकाई अभिदाता से विनिर्दिष्ट प्ररूप में और इस प्रकार विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन किसी अभिदाता से प्रत्याहरण के लिए कोई आवेदन प्राप्त होने पर इन विनियमों, प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, परिपत्रों, आदेशों या अधिसूचनाओं के अधीन अनुज्ञात पद्धति और रीति में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से प्रत्याहरण मंजूर कर सकेगा :

परंतु अभिदाता से विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए इस प्रकार विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ प्रत्याहरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अनुज्ञेय प्रत्याहरण की बाबत प्राधिकरण द्वारा जारी कार्यचालन संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों में अंतर्विष्ट अपेक्षाओं के अनुपालन की अपेक्षा होगी ।

8. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन निम्नलिखित प्रत्याहरण अनुज्ञात होंगे – (1) अभिदाता के संचित पेंशन धन का आंशिक प्रत्याहरण, जो अभिदाता के संचित पेंशन धन का, जो अभिदाता द्वारा किए गए अंशदान के पच्चीस प्रतिशत से अनधिक है, और जिसमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास के पूर्व किसी समय नियोजक द्वारा किए गए अंशदान, यदि कोई हो, अपवर्जित किया गया है, नीचे विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों, प्रयोजन, आवृत्ति और सीमाओं के अधीन रहते हुए अनुज्ञेय होगा-

(अ) प्रयोजन : किसी अभिदाता को, प्रत्याहरण प्रारूप प्रस्तुत करने की तारीख से केवल निम्नलिखित प्रयोजन में से किसी के लिए उसके व्यक्तिगत पेंशन खाते से ऐसे अभिदाता द्वारा किए गए अभिदायों का पच्चीस प्रतिशत से अनधिक का प्रत्याहरण, अनुज्ञात होगा :-

(क) अपने बच्चों के, जिसके अंतर्गत वैध रूप से दत्तक बच्चे भी है, उच्चतर शिक्षा के लिए ;

(ख) अपने बच्चों के , जिसे अंतर्गत वैध रूप से दत्तक बच्चे भी है, विवाह के लिए ;

(ग) अपने स्वयं के नाम से या विधिक रूप से विवाहित पति या पत्नी के साथ संयुक्त रूप से कोई निवास स्थान (मकान) या फ्लैट क्रय करने या उसके संन्निर्माण के लिए;

यदि, अभिदाता के पास पहले से पैतृक संपत्ति से भिन्न उसके स्वयं के नाम से व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त नाम से कोई निवास स्थान (मकान) या फ्लैट है, तो इन विनियमों के अधीन कोई प्रत्याहरण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ;

(घ) विनिर्दिष्ट बीमारियों के उपचार के लिए; यदि, अभिदाता उसका विधिक रूप से विवाहित पति या पत्नी, बच्चों जिसके अंतर्गत वैध रूप से दत्तक बच्चे भी है, या आश्रित माता-पिता किसी विनिर्दिष्ट रुग्णता से ग्रस्त हैं, जिसमें निम्नलिखित रोगों के संबंध में अस्पताल में भर्ती होना, उपचार समाविष्ट होगा :

(i) कैंसर ;

(ii) किडनीफेल होना (रीनल फेल होना, अंतिम स्टेज) ;

(iii) प्राइमरी पुल्मोनरी आल्टेकियल हाइपरटेंशन ;

(iv) मल्टीपल एक्लराइओसिस ;

(v) मेजर आर्गन ट्रांसप्लांट ;

(vi) कोरेनरी आर्ट्री बाइपास ग्राफ्ट ;

(vii) ओरटा ग्राफ्ट सर्जरी ;

(viii) हार्ट वाल्व सर्जरी ;

(ix) स्ट्रोक ;

(x) मायोकार्डियल इंफ्रक्शन ;

(xi) कोमा ;

(xii) टोटल ब्लांडनेस (पूर्ण रूप अंधता) ;

(xiii) पेरालेसिस (लकवा) ;

(xiv) गंभीर/जीवन को संकट में डालने वाली दुर्घटना;

(xv) जीवन को नुकसान पहुंचाने वाली कोई अन्य गंभीर रोग जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों, मार्गदर्शक सिद्धांतों या अधिसूचनाओं में निर्दिष्ट किया जाये ।

(आ) सीमाएं : अनुज्ञात प्रत्याहरण केवल तभी मंजूर किया जाएगा यदि अभिदाता लाभों का उपभोग करने के लिए निम्नलिखित पात्रता संबंधी मानदंड और सीमाओं का अनुपालन करता है :-

(क) अभिदाता, अपने कार्यग्रहण की तारीख से कम से कम दस वर्ष की अवधि तक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में रहा हो ;

(ख) अभिदाता को उसके द्वारा किए गए अभिदायों के, आवेदन की तारीख को उसके व्यक्तिगत पेंशन खाते में जमा रकम के प्रत्याहरण के लिए, पच्चीस प्रतिशत से अनधिक संचयन का प्रत्याहरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(ई) आवृत्ति : (1) अभिदाता को, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाय की संपूर्ण अवधि के दौरान केवल अधिकतम तीन बार प्रत्याहरण अनुज्ञात होगा और ऐसे प्रत्येक प्रत्याहरण की अंतिम तारीख से कम से कम पांच वर्ष की अवधि व्यतीत न हो गई हो । दो प्रत्याहरणों के बीच व्यतीत होने वाली पांच वर्ष की अनिवार्य अपेक्षा, विनिर्दिष्ट रुग्णता के उपचार की दशा में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास अभिदाता की मृत्यु के कारण उद्भूत प्रत्याहरण की दशा में लागू नहीं होगी । अभिदाता द्वारा सुसंगत दस्तावेजों के साथ विनिर्दिष्ट प्रारूप में प्रत्याहरण के लिए अनुरोध केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को, जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसे प्रत्याहरण की कार्यवाही करने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा । परंतु जहां कोई अभिदाता, उपखंड (घ) में विनिर्दिष्ट किसी रोग से ग्रस्त है वहां प्रत्याहरण का ऐसा अनुरोध ऐसे अभिदाता के कुटुंब के किसी सदस्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

(2) स्थायी सेवानिवृत्ति खाते से संबंधित विधिमान्य और सक्रिय टीयर ।। खाता धारक कोई अभिदाता ऐसे आवेदन प्रारूप पर और ऐसी पद्धति तथा रीति में, जो प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे प्रत्याहरण के लिए किसी भी समय आवेदन करके पूरा या भागत: संचित धन का प्रत्याहरण कर सकेगा । ऐसे प्रत्याहरणों की, लागू प्रभारों और प्रत्याहरण रकम को देखते हुए संचित पेंशन धन की पर्याप्त रकम होने तक कोई सीमा नहीं होगी :

परंतु अभिदाता के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से बाहर होते ही टीयर ।। खाता स्वत: बंद हो जाएगा, भले ही उक्त प्रयोजन के लिए इस प्रकार विनिर्दिष्ट आवेदन अभिदाता से प्राप्त नहीं हुआ हो और ऐसे खाते में संचित धनराशि, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास संबंधी अभिदाता के आवेदन प्रस्तुत करने के समय ही उसके द्वारा दिए गए बैंक खाते में अंतरित हो जाएगा ।

9. प्रत्याहरण की प्रक्रिया- (1) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या उक्त प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य मध्यवर्ती या इकाई, अभिदाता द्वारा अधिनियम के उपबंधों, प्राधिकरण द्वारा जारी इन विनियमों, निदेशों, मार्गदर्शक सिद्धांतों और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) विनियम, 2015, जहां लागू हों, के अनुसार दर्ज प्रत्याहरण और निकाससे संबंधित दावों पर कार्रवाईकरने और उसका अनुमोदन करने और प्राधिकृत करने के लिए उत्तरदायी होंगे । राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अभिदाताओं के प्रत्याहरण और निकास को सुकर बनाने के लिए उपयुक्त प्रचालन कार्रवाई या मार्गदर्शक सिद्धांत विरचित करेगा ।

अध्याय 4
वार्षिकी का क्रय और वार्षिकी सेवा प्रदाता

10. निकास के समय वार्षिकी क्रय करने की शर्तें – (1) अभिदाता, निकास के समय, इन विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट मासिक या कालिक वार्षिकी या पेंशन के लिए अनिवार्य रूप से कोई वार्षिकी क्रय करेगा। ऐसी वार्षिकी, प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाताओं से क्रय की जाएंगी।

(2) अभिदाता द्वारा वार्षिकी और उसके प्रकार के विकल्प का उपयोग राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास के समय किया जाएगा, जब तक प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों, अधिसूचनाओं या मार्गदर्शक सिद्धांतों द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए ।

(3) एक बार वार्षिकी क्रय कर लिए जाने पर रद्दकरण और किसी अन्य वार्षिकी सेवा प्रदाता के साथ या किसी अन्य वार्षिकी स्कीम में पुन: विनिधान का विकल्प अनुज्ञात नहीं होगा, जब तक कि वह वार्षिकी सेवा प्रदाता द्वारा विनिर्दिष्ट उपबंधित मुक्त नियत अवधि सीमा के भीतर,वार्षिकी संविदा के निबंधनों में ऐसा उपबंधित न हो, या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसा विनिर्दिष्ट रूप से उपलब्ध न हो।

(4) सरकारी सेक्टर के अभिदाता से भिन्न अभिदाता को वार्षिकी सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध विभिन्न प्रकार की वार्षिकियों में से चुनाव का विकल्प होगा और इस प्रकार चुनी गई वार्षिकी सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध की जाएगी ।

(5) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास चाहने वाले अभिदाताओं के फायदे के लिए एक डिफाल्ट वार्षिकी सेवा प्रदाता और डिफाल्ट वार्षिकी स्कीम होगी । डिफाल्ट वार्षिकी सेवा प्रदाता और लागू डिफाल्ट वार्षिकी स्कीम संबंधी सूचना ऐसी होगी जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए और जो उसके द्वारा जारी परिपत्रों, मार्गदर्शक सिद्धांतों या अधिसूचना के माध्यम से अभिदाता संसूचित करने के अतिरिक्त उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध हो । ऐसी डिफाल्ट वार्षिकी स्कीम विनियम 3 के अधीन आने वाले सरकारी अभिदाताओं के मामले मेंमें उपलब्ध या लागू नहीं होगी ।

11. वार्षिकी सेवा प्रदाताओं का पैनल तैयार करना- (1) इन विनियमों के प्रारंभ् से ही ऐसा कोई आवेदक, जो सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने के लिए पैनल प्रमाणपत्र अनुदत्त किये जाने संबंधी इन विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंड को पूरा करता है, उपविनियम (2) में विनिर्दिष्ट पैनल में सम्मिलित होने हेतु फीस और उसके समर्थन में ऐसे दस्तावेजों, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, के साथ विनिर्दिष्ट प्ररूप में आवेदन करेगा ।

(2) आवेदक प्रपत्र के साथ एक लाख रूपये की एक बारगी फीस प्राधिकरण को संदत्त की जाएगी।। प्राधिकरण द्वारा पैनल में सम्मिलत होने संबंधी फीस, विनियम 17 के अधीन पैनल में सम्मिलित होने संबंधी प्रमाणपत्र प्रदान करने की सूचना भेजने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर वसूल की जाएगी :

परंतु प्रत्येक सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाता, पैनल में सम्मिलित होने संबंधी प्रमाणपत्र के नवीकरण के समय ऐसी नवीकरण फीस, यदि कोई हो, का संदाय करेगा जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर उसके द्वारा जारी परिपत्र, आदेश या अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(3) ऐसा आवेदन, जो सभी प्रकार से पूर्ण नहीं है, जो आवेदन प्ररूप में और इन विनियमों में विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुरूप नहीं है, नामंजूर कर दिया जाएगा । परंतु यदि कोई ऐसा आवेदन नामंजूर करने के पहले आवेदक को वापस लेने या आवेदन को सभी प्रकार से पूर्ण करने और गलतियों को, यदि कोई हो, सुधारने का युक्ति-युक्त अवसर दिया जाएगा । प्राधिकरण आवेदक से आवेदन का निपटारा करने के लिए ऐसी अतिरिक्त सूचना की ईप्सा कर सकेगा जो वह सुसंगत समझे ।

(4) इन विनियमों के प्रारंभ से पूर्व अंतरिम पेंशन, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध कोई वार्षिकी सेवा प्रदाता, इन विनियमों की अधिसूचना से नब्बे दिन की अवधि तक या यदि वह पैनल में सम्मिलित होने के लिए आवेदन करता है तो प्राधिकरण द्वारा उसके आवेदन का निपटारा करने तक उस रूप में कार्य करता रहेगा ।

12. प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए पात्रता मानंदड- (1) किसी आवेदक के लिए सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने हेतु निम्नलिखित पात्रता मानदंड होंगे :--

(क) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकृत और विनियमित तथा पिछले तीन वर्ष से घरेलू बाजार में वार्षिकी संबंधी उत्पादों में व्यवहार करने वाली कोई जीवन बीमा कंपनी ;

(ख) आवेदक, जिसे पास न्यूनतम शुद्ध मालियत दो सौ पचास करोड़ रुपए है ;

(ग) आवेदक, ऐसे वार्षिकी उत्पादों की, जो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को फाइल वार्षिकी उत्पादों के ब्यौरों द्वारा प्रदर्शन योग्य है, परिकल्पना, विकास और प्रस्थापना करने में सक्षम है ;

(घ) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा बाजार में वार्षिकी उत्पादों के साथ व्यवहार करने या उनका विक्रय करने से वर्जित नहीं किया गया है ;

(ङ) कोई अन्य मानदंड, जो प्राधिकरण द्वारा संकल्पों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों, मार्गदर्शक सिद्धांतों, संन्नियमों या ज्ञापन द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) प्राधिकरण ने लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से उपरोक्त कुछ या सभी मानदंडों का अधित्यजन करने या उपांतरित करने का अधिकार आरक्षित रखा है ।

13. सूचना का प्रकटीकरण- (1) प्राधिकरण को, अभिदाताओं के हित को ध्यान में रखते हुए आवेदक द्वारा आवेदन में दी गई सूचना को सार्वजनिक रूप से प्रकट करने का अधिकार होगा ।

(2) वार्षिकी प्रदाता द्वारा पैनल में सम्मिलित होने के लिए आवेदन करते समय या उसके पश्चात् प्राधिकरण को दी गई सूचना में हुई कोई तात्विक परिवर्तन तुरंत किन्तु ऐसी परिवर्तन होने के तीस दिन के अपश्चात् प्राधिकरण को दी जाएगी ।

14. सूचना और स्पष्टीकरण का दिया जाना- (1) प्राधिकरण, आवेदक से पैनल में सम्मिलित होने के लिए आवेदन का निपटारा करने के प्रयोजन के लिए अतिरिक्त सूचना या सूपष्टीकरण देने के लिए और तत्पश्चात् ऐसे किसी अन्य मामले की बाबत, जो प्राधिकरण द्वारा आवश्यक समझा जाए, अपेक्षा कर सकेगा । आवेदक या उसका प्रधान अधिकारी, यदि ऐसा अपेक्षित हो, प्राधिकरण के समक्ष आवेदन के संबंध में व्यक्तिगत अभ्यावेदन के लिए हाजिर होगा ।

(2) आवेदक, प्राधिकरण को उसके समाधानप्रद रूप में, प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसी सूचना और स्पष्टीकरण देगा ।

15. सूचना का सत्यापन—(1) आवेदक द्वारा दिए गए आवेदन और सूचना तथा उसकी पात्रता पर विचार करते समय प्राधिकरण, यदि ऐसी वांछा करें, सूचना का सत्यापन, जिसके अंतर्गत दस्तावेजों, कार्यस्थल का वस्तुत: सत्यापन भी है, ऐसी रीति में कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे और कार्यस्थल, अवसंरचना और ऐसे प्रौद्योगिकी समर्थन की, जिसका आवेदक के पास होना अपेक्षित है, उपलब्धता का निरीक्षण कर सकेगा ।

(2) सूचना के सत्यापन के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण, किसी व्यक्ति की नियुक्त कर सकेगा, जिसके अंतर्गत उसका कोई अधिकारी या संपरीक्षक या कोई बाह्य अभिकरण भी है ।

16. आवेदन पर विचार किया जाना- (1) आवेदक की पात्रता और ऐसे आवेदक को पैनल में सम्मिलित किए जाने संबंधी प्रमाणपत्र देने पर विचार करने के लिए प्राधिकरण ऐसे सभी विषयों को ध्यान में रखेगा जो वह पेंशन सेक्टर और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के क्रियाकलापों के लिए सुसंगत समझे किन्तु ये निम्नलिखित विषयों तक सीमित नहीं होगा :--

(क) क्या आवेदक या उसके किसी सहबद्ध को पहले, भारत के किसी वित्तीय सेक्टर विनियामक द्वारा, जिसे अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण तथा प्राधिकरण भी हैं, पैनल में सम्मिलित होने संबंधी प्रमाणपत्र देने से इंकार किया गया है, यदि ऐसा है तो ऐसी इंकार के आधार ;

(ख) क्या आवेदन पर, पिछले पांच वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण तथा प्राधिकरण जैसे किसी वित्तीय विनियामक द्वारा या किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किन्हीं विधियों के उपबंधों का, संबंधित विनियामक द्वारा बनाए गए विनियमों या निदेशों, मार्गदर्शक सिद्धांतों और परिपत्रों के उल्लंघन के विषय में शास्ति अधिरोपित की गई है और यदि ऐसा हुआ है तो उसके आधार ;

(ग) क्या आवेदक इन विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट पात्रता संबंधी मानदंडों और अन्य अपेक्षाओं को पूरा करता है ;

(घ) क्या आवेदक को प्रमाणपत्र दिया जाना अभिदाताओं के हित और/या पेंशन सेक्टर या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के क्रमबद्ध विकास के हित में है ;

(2) आवेदन पर विचार करते समय, प्राधिकरण आवेदक को, ऐसी तारीख, समय और स्थान पर, जो प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाए, प्राधिकरण को अभ्यावेदन करने के लिए आमंत्रित कर सकेगा । ऐसे प्रस्तुतिकरण का प्रयोजन, आवेदक को, प्राधिकरण को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने और अपने प्रस्ताव का मूल आधार स्पष्ट करने हेतु अनुज्ञात करना होगा ।

(3) पैनल में सम्मिलित होने संबंधी प्रमाणपत्र दिए जाने का ऐसा आवेदन-

(क) जो सभी प्रकार से पूर्ण नहीं है और दी गई अपेक्षाओं तथा इन विनियमों में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हैं ;

(ख) जिसमें प्राधिकरण द्वारा यथा अपेक्षित अतिरिक्त सूचना अंतर्विष्ट नहीं है ;

(ग) जो गलत, मिथ्या या भ्रामक प्रकृति का है ;

(घ) जहां आवेदक ने इन विनियमों के अधीन यथा वर्णित पात्रता संबंधी अपेक्षाओं का पालन नहीं किया है ;

(ङ) जो प्राधिकरण की राय में अभिदाताओं के हित और/या पेंशन सेक्टर या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के क्रमबद्ध विकास उद्देश्यपरक हित में नहीं है ;

(च) जहां आवेदक उचित और उपयुक्त व्यक्ति नहीं है,

प्राधिकरण द्वारा लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से नामंजूर कर दिया जाएगा ।

(4) किसी आवेदन को नामंजूर किए जाने के पूर्व आवेदक को, प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर कमियों को सुधारने का लिखित में अवसर दिया जाएगा :

परंतु जहां कोई आवेदन इस आधार पर नामंजूर किया जाता है कि उसमें मिथ्या या भ्रामक सूचना अंतर्विष्ट है, वहां ऐसा कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा और आवेदक इन विनियमों या किन्हीं अन्य विनियमों के अधीन ऐसी नामंजूरी की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रमाणपत्र देने हेतु आवेदन नहीं करेगा ।

(5) इन विनियमों के अधीन पैनल में सम्मिलित होने संबंधी आवेदन का, जो सभी प्रकार से पूर्ण है, प्राधिकरण द्वारा, ऐसा अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर निपटारा किया जाएगा ।

17. पैनल में सम्मिलित होने संबंधी प्रमाणपत्र दिए जाने की प्रक्रिया- (1) प्राधिकरण, इस बात का समाधान हो जाने पर कि आवेदक पात्र है । उपाबंध 3 में विनिर्दिष्ट प्ररूप पैनल में सम्मिलित होने संबंधी प्रमाणपत्र देगा और इस संबंध में आवेदक को सूचना भेजेगा :

परंतु जहां प्राधिकरण या किसी न्यायालय या अधिकरण में कोई कार्यवाही लंबित है जिसके परिणामस्वरूप रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र निलंबित या रद्द किया जा सकता है, वहां प्राधिकरण सशर्त रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त कर सकेगा ।

(2) पैनल में सम्मिलित होने संबंधी प्रमाणपत्र प्राप्त होने की तारीख से तीस कार्य दिवस के भीतर, वार्षिकी सेवा प्रदाता, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण के साथ, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अभिदाताओं द्वारा वार्षिकी के क्रय करने की प्रक्रिया को प्रचालित करने के प्रयोजन के लिए करार करेगा ।

18. पैनल में सम्मिलित होने संबंधी प्रमाणपत्र की शर्तें—किसी वार्षिकी सेवा प्रदाता को प्राधिकरण द्वारा पैनल में सम्मिलित होने संबंधी अनुदत्त प्रमाणपत्र निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, अर्थात् :--

(क) जहां वार्षिकी सेवा प्रदाता, अपनी प्रास्थिति या गठन में परिवर्तन का प्रस्ताव करता है वहां वह वार्षिकी सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करना जारी रखने के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से अभिप्राप्त अनुमोदन के साथ ऐसी सूचना प्राधिकरण को देगा ;

(ख) वह इन विनियमों के अनुसार लागू फीस का संदाय करेगा ;

(ग) वह अधिनियम या उसके अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों, जारी किए गए किसी निदेश, मार्गदर्शक सिद्धांतों या परिपत्रों का पालन करेगा ;

IndiaCode

(घ) वह बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 और उसके अधीन विरचित नियमों और विनियमों का पालन करेगा ;

(ङ) वह प्रमाणपत्र की संपूर्ण अवधि तक पैनल में सम्मिलित होने संबंधी इन विनियमों में विनिर्दिष्ट पात्रता संबंधी मानदंड और अन्य अपेक्षाओं का पालन करेगा :

परंतु प्राधिकरण, ऐसी अन्य और अतिरिक्त शर्तें अधिरोपित कर सकेगा, जो वह अभिदाताओं के हित में या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या पेंशन सेक्टर के क्रमबद्ध विकास के लिए उचित समझे ।

19. पैनल में सम्मिलित होने संबंधी प्रमाणपत्र अनुदत्त करने, इंकार करने या पैनल में सम्मिलित होने संबंधी प्रमाणपत्र के समाप्त होने का प्रभाव—(1) जहां कोई विद्यमान वार्षिकी सेवा प्रदाता पैनल मे सम्मिलित होने संबंधी प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन करने में असफल रहता है, वहां पैनल में सम्मिलित होने संबंधी प्रमाणपत्र की समाप्ति पर या इन विनियमों के अधीन पैनल में सम्मिलित होने संबंधी प्रमाणपत्र अनुदत्त किए जाने से इंकार कर दिए जाने या किसी न्यायालय के आदेश में ऐसे वार्षिकी सेवा प्रदाता को परिसमापन करने का निदेश दिया गया है,

या उसने अपना प्रमाणपत्र अभ्यर्पित कर दिया है। वहां ऐसा वार्षिकी सेवा प्रदाता,-

(क) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अभिदाताओं के लिए वार्षिकी सेवा प्रदाता के रूप में कार्य तुरंत छोड़ देगा ;

(ख) वार्षिकी सेवा प्रदाता, यदि कोई हो, उपगत या कल्पित दायित्व के बारे में उपबंध करेगा ;

(ग) ऐसी समय-सीमा के भीतर और ऐसी रीति में, जो सुसंगत विनियमों के अधीन अपेक्षित हों या जो प्राधिकरण द्वारा निदेश दिया जाए, ऐसी अन्य कार्रवाई करेगा ।

(2) किसी वार्षिकी सेवा प्रदाता को इन विनियमों के अधीन पैनल में सम्मिलित होने संबंधी प्रमाणपत्र अनुदत्त करने से इंकार करते समय प्राधिकरण वार्षिकी सेवा प्रदाता पर ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जो वह अभिदाताओं के हित के संरक्षण के लिए उचित समझे और ऐसी शर्तों का पालन किया जाएगा ।

20. पैनल में सम्मिलित होने संबंधी प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की अवधि—(1) अधिनिम, इन विनियमों के अनुपालन के अध्यधीन किसी वार्षिकी सेवा प्रदाता को अनुदत्त प्रमाणपत्र तब तक विधिमान्य रहेगा जब तक उसका उसके द्वारा अभ्यर्पण नहीं कर दिया जाता या इन विनियमों के अनुसार निलंबित या रद्द नहीं कर दिया जाता है ।

(2) ऐसा वार्षिकी सेवा प्रदाता, जिसे पैनल में सम्मिलित होने संबंधी प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, ऐसे पैनल को प्रवृत्त रखने के लिए पहला पैनल तैयार होने की तारीख से या प्राधिकरण द्वारा अंतिम स्वीकृत फीस के संदाय की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति के पूर्व नब्बे दिन के भीतर, प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट प्ररूप में पच्चीस हजार रुपए फीस का संदाय करेगा ।

21. कतिपय मामलों में पात्रता मानदंड से छूट—(1) यदि कोई आवेदक, वार्षिकी सेवा प्रदाता के लिए यथाविनिर्दिष्ट किसी पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता है तो वह ऐसे मानदंड से छूट की ईप्सा करते हुए प्राधिकरण से अनुरोध कर सकेगा ।

(2) प्राधिकरण, यदि उसकी राय में ऐसी पात्रता शर्तों का, जिसकी छूट की ईप्सा की गई है, पालन न किया जाना अभिदाताओं के हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा और ऐसी छूट पेंशन सेक्टर और विनिर्दिष्ट रूप से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के सामान्य विकास में अवरोध नहीं करेगी तो वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ऐसी इकाई को कुछ मानदंड से छूट दे सकेगा । ऐसी परिस्थितियों में प्राधिकरण ऐसी अतिरिक्त शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जो वह सूचीबद्ध किए जाने के लिए उचित समझे ।

22. पैनल में सम्मिलित वार्षिकी सेवा प्रदाता के कर्तव्य और दायित्व—(1) पैनल में सम्मिलित वार्षिकी सेवा प्रदाता के मुख्य कृत्य निम्नलिखित होंगे-

(क) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास के समय अभिदाताओं को भिन्न-भिन्न प्रकार की तत्काल वार्षिकी का प्रबंध करना ;

(ख) प्राधिकरण द्वारा यथाअपेक्षित न्यूनतम तत्काल वार्षिकी के विभिन्न विकल्प उपलब्ध करना और बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) और उसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप

अभिदाताओं के हित में समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा यथा अपेक्षित कोई नए विकल्प को उपलब्ध कराने में समर्थ होना;

(ग) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाताओं द्वारा क्रय की गई वार्षिकी संविदा के लिए अभिदाता को मासिक या कोई अन्य वार्षिकी उपलब्ध कराना ;

(घ) वार्षिकी सेवा प्रदाता, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाताओं के साथ वार्षिकी संविदा करने से उद्भूत शिकायतों और संबंधित मुद्दों पर कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(2) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए पारस्परिक आरंभिक ग्राहक-

(क) वार्षिकी क्रय करने के संबंध में संभावित अभिदाताओं के प्रश्नों पर विचार;

(ख) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की वार्षिकियों से संबंधित अनुमोदित सूचना, वार्षिकियां और आवेदन पत्र या प्रस्थापना संबंधी दस्तावेज या तात्कालिक वार्षिकियों से तात्पर्यित प्रचार सामग्री, जिसके अंतर्गत वार्षिकी संगणना भी है, उपलब्ध कराना और प्रदर्शित करना ;

(3) वार्षिकी के क्रय के लिए अभिदाता रजिस्ट्रीकरण-

(क) आवेदनों की प्राप्ति और प्रतिग्रहण के लिए अपेक्षित आवश्यक अवसंरचना, विनिर्दिष्ट प्रीमियमों सहित, उपलब्ध कराना तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए अनुमोदनों के अनुरूप वार्षिकी संविदाएं जारी करना ;

(ख) अभिदाताओं द्वारा प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकृत और विनियमित केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण के माध्यम से वार्षिकी उत्पादों, जिनके अंतर्गत आवश्यक साफ्टवेयर समर्थन भी है, के आनलाइन क्रय के लिए अपेक्षित अवसंरचना को सुकर बनाना तथा उसे उपलब्ध कराना। वार्षिकी सेवा प्रदाता उपलब्ध वार्षिकियों और अन्य सुविधाओं के संबंध में आवश्यक आवेदन प्ररूप, साहित्यिक सामग्री अभिदाताओं को केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण प्रणाली अथवा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट किसी अन्य ढंग के माध्यम से उपलब्ध कराएगा ;

(ग) अभिदाता के विकल्पानुसार इन विनियमों और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप वार्षिकी आवेदन में उपबंधित वार्षिकी संविदा का जारी किया जाना ;

(घ) वार्षिकी सेवा प्रदाता, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन मासिक, तिमाही या वार्षिक, अभिदाता द्वारा जैसा विकल्प अपनाया गया है, पेंशन या वार्षिकी, वार्षिकी आवेदन प्ररूप में तथा ऐसे अभिदाता द्वारा चयनित वार्षिकी संविदा के अनुसार परिदत्त करने के लिए उत्तरदायी होगा; हालांकि सरकारी अभिदाताओं को केवल मासिक आधार पर पेंशन परिदत्त की जाएगी।

(ङ) वार्षिकी सेवा प्रदाता, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाताओं द्वारा केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण या उसके प्रतिनिधि या ऐसी अन्य इकाई से, जो इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत है, क्रय के प्रति वार्षिकी संविदाओं के जारी किए जाने के लिए संग्रहण, सत्यापन और पश्चात्वर्ती कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा ;

(च) वार्षिकी सेवा प्रदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाताओं द्वारा किए गए वार्षिकी क्रयों के संबंध में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास और केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण को इस रूप, प्ररूप में और ऐसे अंतराल पर, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, सूचना उपलब्ध कराएगा ।

(4) वार्षिकी सेवा प्रदाता द्वारा की गई वार्षिकी संविदा के संबंध में, पते में, नामितिकरण में या किसी अन्य क्रियाकलाप में परिवर्तन के लिए अभिदाता के अनुरोधों पर, जैसे कि अभिदाताओं से अनुरोध प्राप्त करने, उन पर कार्रवाई करना और उन्हें प्रभावी करने की कार्रवाई की जाएगी ।

(5) वार्षिकी सेवा प्रदाता, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन ऐसे अभिदाताओं से, जिन्होंने उससे वार्षिकी क्रय की थी, शिकायतें प्राप्त करने और उनका समाधान करने के लिए तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा बीमाकर्ताओं के लिए जारी किए गए शिकायत समाधान संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों या विनियमों के अनुसार उनका समाधान किए जाने तक उनका अनुपरीक्षण करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(6) वार्षिकी सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में अभिदाता से प्राप्त किसी शिकायत पर, कार्रवाई तथा वार्षिकी सेवा प्रदाता द्वारा उनका निपटारा, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) के उपबंधों और उसके अधीन विरचित नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाएगा और उसकी सूचना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को दी जाएगी । ऐसा प्राधिकरण की वार्षिकी सेवा प्रदाता के पैनल को रद्द करने या निलंबित करने की अथवा ऐसे अन्य उपाय करने की, जो अभिदाता के हित में आवश्यक समझे जाएं, शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया जाएगा ।

23. अभिदाताओं से फीस और प्रभारों का प्रभारित किया जाना- किसी उत्पाद के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा यथा उपबंधित प्रीमियम से भिन्न कोई अतिरिक्त फीस नहीं होगी किन्तु इसमें सरकार द्वारा अधिरोपित किन्हीं करों को अपवर्जित किया गया है । अभिदाताओं को जारी उत्पाद के लिए कोई अतिरिक्त मध्यस्थता व्यय या प्रभार नहीं होंगे ।

24. अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति—(1) प्रत्येक वार्षिकी सेवा प्रदाता एक अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो इन विनियमों और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी अन्य नियमों, विनियमों, मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन यथा उपबंधित वार्षिकी सेवा प्रदाता के कर्तव्यों के अनुपालन को मानीटर करने तथा ऐसे अभिदाताओं द्वारा, जिन्होंने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास पर वार्षिकी सेवा प्रदाता से वार्षिकियों का क्रय किया है, प्राप्त की गई शिकायतों को दूर करने के लिए उत्तरदायी होगा । ऐसे अनुपालन अधिकारी के नाम और ब्यौरे के बारे में, ऐसी नियुक्ति के तीस दिन के भीतर प्राधिकरण को सूचित किया जाएगा ।

(2) अनुपालन अधिकारी, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अन्य इकाइयों जैसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास, केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण, न्यासी बैंक या वार्षिकी क्रय करने या उससे संबंधित किसी क्रियाकलाप से संबंधित कोई अन्य विनिर्दिष्ट इकाई के साथ सहयोग से संबंधित क्रियाकलापों को करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

25. आचार संहिता—पैनल में सम्मिलित वार्षिकी सेवा प्रदाता सभी समयों पर बीमाकर्ता की आचार संहिता या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अभिदाताओं द्वारा क्रय की गई वार्षिकी से संबंधित क्रियाकलापों में उचित कार्रवाई करने के लिए विनिर्दिष्ट कोई अन्य समान नियमों, मार्गदर्शक सिद्धांतों या विनियमों का पालन करेगा ।

26. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से सहबद्ध किन्हीं विषयों पर कार्रवाई करने की प्राधिकरण की शक्ति - राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाताओं द्वारा वार्षिकी क्रय में आने वाली किन्हीं कठिनाइयों, वार्षिकी क्रय से उद्भूत शिकायतों या वार्षिकी क्रय से संबद्ध किसी अन्य मामले को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण में उस मामले को सीधे बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के समक्ष ले जा सकता है ।

27. गोपनीयता—पैनल में सम्मिलित वार्षिकी सेवा प्रदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन उसके द्वारा प्राप्त सभी अभिलेखों, डाटा और सूचना, जिसके अंतर्गत अभिदाता से प्राप्त सूचना भी है, के संबंध में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखेगा । वार्षिकी सेवा प्रदाता प्राधिकरण की पूर्व अनुज्ञा के बिना, ऐसा डाटा या सूचना साक्ष्य के रूप में या किसी अन्य प्रयोजन के लिए, विधि की सम्यक् प्रक्रिया द्वारा यथापेक्षित के सिवाए, पेश अथवा साझा नहीं करेगा ।

28. पैनल का रद्द किया जाना- प्राधिकरण, वार्षिकी सेवा प्रदाता का, उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से रद्द कर सकेगा।

अध्याय 5
निरीक्षण और संपरीक्षा

29. निरीक्षण और संपरीक्षा—ऐसे मध्यवर्तियों की, जिन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से प्रत्याहरण के प्रबंध के कार्य सौंपे गए हैं, संपरीक्षा और निरीक्षण की बाबत प्राधिकरण की शक्तियां राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन विनिर्दिष्ट मध्यवर्तियों को शासित करने वाले विनियमों के अनुसार होगी ।

अध्याय 6
जांच

30. जांच का संचालन—(1) व्यतिक्रम की दशा में, जांच कार्यवाहियां और कार्रवाई, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास, केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण या कोई अन्य मध्यवर्ती जैसे विनिर्दिष्ट मध्यवर्तियों को शासित करने वाले विनियमों के अनुसार होगी ।

(2) जहां व्यतिक्रम अंतवर्लित है, वहां राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास, केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण और या कोई अन्य मध्यवर्ती उक्त प्रयोजन के लिए एक सामान्य जांच कर सकेंगे ।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

31. कपट या कुप्रबंध का निवारण- राष्ट्रीय पेंशन प्रणालीन्यास या केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण या वार्षिकी सेवा प्रदाता या कोई अन्य मध्यवर्ती या इकाई, जिसे प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से प्रत्याहरण के प्रबंधन का कृत्य सौंपा गया है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास पर अभिदाताओं के प्रत्याहरण के कपट, कुप्रबंध के निवारण के लिए सभी संभव प्रयास करेगा ।

32. नामितिकरण - इन विनियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से जुड़ने वाले किसी अभिदाता से, विनिर्दिष्ट प्ररूप में, एक या अधिक व्यक्तियों को, ऐसी रकम, जो उसके संदेय होने के पूर्व या संदेय हो जाने पर संदत्त नहीं की गई है, उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में संचित धनराशि या संचित निधि के रूप में उसकी जमा राशि प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त करते हुए नामितिकरण करने की अपेक्षा होगी । नामिति अथवा नामितियों को अभिदाता की मृत्यु हो जाने पर ऐसी सभी धनराशियों को, जो सभी अन्य व्यक्तियों को अपवर्जित करके, असंदत्त है, प्राप्त करने का, यथास्थिति, हक होगा।

परंतु-

(i) यदि नामिति की मृत्यु अभिदाता से पहले हो जाती है तो नामितिकरण, जहां तक उसका संबंध नामिति को प्रदत्त अधिकारों से है, शून्य हो जाएगा ;

(ii) जहां इन विनियमों के अनुसार नामिति की मृत्यु अभिदाता से पहले हो जाने की दशा में नामितिकरण में सम्यक् रूप से किए गए किसी उपबंध में ऐसी सभी धनराशियां, जो अभी तक असंदत्त हैं, प्राप्त करने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को प्रदत्त किया गया है, वहां ऐसा अधिकार, नामिति की मृत्यु हो जाने पर नामिति के रूप में प्रत्यास्थापित ऐसे अन्य व्यक्ति को संक्रांत हो जाएगा ;

(iii) अभिदाता, अपने नामितिकरण में ऐसी रकम को, जो उसकी निधि में जमा है, अपने स्वयं के विवेकाधिकार से अपने नाम निर्देशितियों के बीच वितरित कर सकेगा ;

(iv) यदि नामितिकरण के समय किसी अभिदाता का कुटुंब है तो नामितिकरण, उसके कुटुंब के एक या अधिक व्यक्तियों के पक्ष में किया जाएगा । ऐसे अभिदाता द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में किया गया नामितिकरण, जो उसके कुटुंब का सदस्य नहीं है, अविधिमान्य होगा ;

(v) अभिदाता द्वारा, उसका विवाह होने पर नए सिरे से नामितिकरण किया जाएगा और ऐसे विवाह से पहले किया गया कोई नामितिकरण अविधिमान्य समझा जाएगा ;

(vi) यदि नामितिकरण करने के समय अभिदाता का कोई कुटुंब नहीं है तो नामितिकरण किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में किया जा सकेगा किन्तु तत्पश्चात् यदि अभिदाता कोई कुटुंब अर्जित कर लेता है तो ऐसा नामितिकरण तत्काल अविधिमान्य समझा जाएगा और अभिदाता अपने कुटुंब के एक या अधिक व्यक्तियों के पक्ष में नए सिरे से नामितिकरण करेगा ;

(vii) जहां कोई नामितिकरण पूर्ण रूप से या भागत: किसी अवयस्क के पक्ष में किया जाता है वहां अभिदाता, इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए, अपने कुटुंब के किसी वयस्क व्यक्ति को, अभिदाता की नामिति और इस प्रकार नियुक्त संरक्षक से पहले मृत्यु होने की दशा में अवयस्क नामिति का संरक्षक नियुक्त कर सकेगा ;

(viii) जहां कुटुंब में कोई वयस्क व्यक्ति नहीं है वहां अभिदाता अपने विवेकाधिकार से किसी अन्य व्यक्ति को, अवयस्क नामिति का संरक्षक नियुक्त कर सकेगा ;

(ix) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन किया गया कोई नामितिकरण अभिदाता द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में ऐसा करने के अपने आशय की लिखित सूचना देने के पश्चात् किसी भी समय उपांतरित किया जा सकेगा । कोई नामितिकरण या इस प्रकार किया गया उपांतरण, उस विस्तार तक प्रभावी होगा जहां तक वह उस तारीख को, जिसको यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन किसी मध्यवर्ती को प्राप्त होता है, विधिमान्य है ;

(x) यदि अभिदाता यह साबित कर देता है कि उसके पति या पत्नी ने, उसे शासित करने वाली स्वीय विधि या उस समुदाय की, जिसका पति या पत्नी है, रुढ़िजन्य विधि के अधीन भरणपोषण का हकदार नहीं है तो वह इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए अभिदाता के कुटुंब का भाग तब तक नहीं समझा जाएगा या समझी जाएगी, जब

तक अभिदाता उसके बाद अभिहित मध्यवर्ती को, उक्त प्रयोजन के लिए कि उसका उससे संबंध बना हुआ है, लिखित सूचना द्वारा सूचित नहीं कर देता है ; और

(xi) यदि अभिदाता उक्त प्रयोजन के लिए अभिहित मध्यवर्ती को लिखित सूचना द्वारा अपने पति को कुटुंब से अपवर्जित करने की वांछा करती है तो पति और उसके आश्रित माता-पिता को इस स्कीम के प्रयोजन के लिए अभिदाता के कुटुंब का भाग नहीं समझा जाएगा तब तक अभिदाता तत्पश्चात् लिखित में ऐसी सूचना को रद्द न कर दे ।

स्पष्टीकरण 1- इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,-

(क) ''कुटुंब'' पद से,-

(i) पुरुष अभिदाता के संबंध में उसकी विधित: विवाहित पत्नी, उसके बालक, चाहे विवाहित हों या अविवाहित, उसके आश्रित माता-पिता और उसके मृतक पुत्र की विधवा और बालक अभिप्रेत है ;

(ii) किसी महिला अभिदाता के संबंध में उसका विधित: विवाहित पति, उसके बालक, चाहे विवाहित हों या अविवाहित, उसके आश्रित माता-पिता और उसके मृतक पुत्र की विधवा और बालक ;

स्पष्टीकरण 2- उपरोक्त दोनों दशाओं में यदि किसी अभिदाता के, यथास्थिति, बच्चों[या, यथास्थिति अभिदाता के मृतक पुत्र के बच्चे का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दत्तक ग्रहण कर लिया जाता है और यदि दत्तक ग्रहण करने वाले व्यक्ति की स्वीय विधि के अधीन दत्तक ग्रहण वैध रूप से मान्यताप्राप्त है तो ऐसे बच्चे को अभिदाता के कुटुंब से यथा अपवर्जित समझा जाएगा ।

33. प्रत्याहरण आवेदन का प्रस्तुत किया जाना—राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के टीयर ।खाते से प्रत्याहरण की ईप्सा करने वाला कोई अभिदाता, केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण को प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी प्रत्याहरण और निकासके प्रचालन संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, उसमें उल्लिखित अपेक्षाओं के साथ अपना प्रत्याहरण आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

34. दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा - राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के टीयर । खाते से प्रत्याहरण की ईप्सा करने वाला कोई अभिदाता, ऐसे सभी दस्तावेज प्रस्तुत करेगा जो प्रत्याहरण आवेदन प्ररूप में विनिर्दिष्ट हैं । अभिदाताओं के भिन्न-भिन्न प्रवर्गों को लागू प्रत्याहरण आवेदन प्ररूप प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर उपबंधित प्रारूपों के अनुसार होगा ।

35. बैंक खाते संबंधी ब्यौरों का दिया जाना - राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के टीयर । खाते से प्रत्याहरण की ईप्सा करने वाला कोई अभिदाता, अनिवार्य रूप से आधार कार्ड या आय-कर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड के अतिरिक्त बैंक को ऐसे सभी ब्यौरे देगा, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दावे की धनराशि उसके खाते में सीधे जमा किए जाने हेतु प्रत्याहरण प्ररूप में दी गई खंड में प्रयोज्य है ।

36. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन भुगतान की पद्धति - राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन प्रत्याहरण से संबंधित सभी भुगतान केवल इलेक्ट्रानिक अंतरण द्वारा किए जाएंगे और प्रत्याहरण धनराशि सीधे अभिदाता या दावाकर्ता द्वारा प्रत्याहरण प्ररूप में दिये गये बैंक खाते में जमा की जाएगी,

37. नियोजक द्वारा अंतिम तीन मास की कटौतियों का रोका जाना- नियोजक द्वारा ऐसे अभिदाता के वेतन से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदायों/ कटौतियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि अभिदाता का निकास और प्रत्याहरण निर्बाध और प्रभावी हो, अधिवर्षिता की तारीख से, जो लागू हो, कम से कम तीन मास पहले बंद कर दिया जाएगा । नियोजक संबंधित कर्मचारी की ओर से उक्त अंतिम तीन मास के अभिदाय का सीधे निर्धारण करेगा ।

38. रिपोर्ट और प्रकटीकरण- वार्षिकी सेवा प्रदाता, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण, प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट विधि, रीति और आवृत्ति में ऐसी सूचना और रिपोर्टें प्रस्तुत करेगा, जो प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित हो ।

39. प्राधिकरण की निदेश और स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति - प्राधिकरण को, इन विनियमों के अधीन, यथास्थिति, प्रत्याहरण और निकास से संबंधी उपबंधों को निर्बंधित करने के लिए आवश्यक निदेश जारी करने की शक्ति होगी जिससे किसी ऐसी अन्य पेंशन या अधिवर्षिका स्कीमों, जो अधिनियम के अधीन नहीं आती हैं, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में जाने की अपेक्षाओं का पालन किया जा सके । प्राधिकरण इन विनियमों को लागू करने या उसके निर्वचन में उत्पन्न किसी कठिनाई को दूर करने के लिए स्पष्टीकरण और मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकता है।

[विज्ञापन-III/4/असा./203/49/15]

हेमंतजी. कांट्रेक्टर, अध्यक्ष

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) Regulations 2015

New Delhi, the 11th May, 2015

No.PFRDA/12/RGL/139/8— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 52 read with clauses (g), (h), and (i) of sub-section (2) thereof of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations, namely:-

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015.

"The regulations aim at providing an effective mechanism in the interest of subscribers, upon exit or withdrawal from the National Pension System, including the conditions, purpose, frequency and limits for withdrawals from individual pension account, as also the conditions, subject to which a subscriber shall exit from the National Pension System and purchase an annuity thereupon."

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013);

(b) "accumulated pension wealth" means the monetary value of the pension investments accumulated in the Permanent Retirement Account of a subscriber under the National Pension System;

(c) "aggregator" means an intermediary registered with the Authority under sub-section (3) of section 27 of the Act, to perform subscriber interface functions under the National Pension System-Swavalamban and have the functional relationship with a known customer base for delivery of some socio-economic goods or services;

(d) "annuity service provider" means a life insurance company registered and regulated by the Insurance Regulatory and Development Authority and empanelled by the Authority for providing annuity services to the subscribers of the National Pension System;

(e) "citizen of India" means a person qualified to be a citizen of India under the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955);

(f) "compliance officer" means a person of responsibility from the National Pension System Trust or any other intermediary or entity entrusted with the responsibility of receiving, processing and settlement of withdrawal claims from the subscribers under the National Pension System and responsible for monitoring compliance, of the provisions of the Actor the rules or the regulations made or notifications, guidelines or instructions issued by the Authority from time to time;

(g) "government sector subscriber" means a subscriber enrolled in the National Pension System through the nodal offices of the Central Government or the State Governments and registered as such with the central recordkeeping agency;

(h) "National Pension System-Lite" means a feature of optimized group model of National Pension System for persons belonging to unorganized sector of which the National Pension System-Swavalamban is a component where Government of India co-contribution is admissible;

(i) "Permanent Retirement Account Number (PRAN)" means a unique identification number allotted to each subscriber by the central recordkeeping agency;

(j) "Swavalamban subscriber" means a subscriber who is registered as such with the central recordkeeping agency under the National Pension System and where Government of India co-contribution is admissible;

(2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act shall have the meanings assigned to them in the Act.

CHAPTER II

EXIT FROM NATIONAL PENSION SYSTEM

For the purpose of exit from the National Pension System, the subscribers are categorized and defined as, (1) Government sector, (2) All citizens including corporate sector and (3) NPS- Lite and Swavalamban subscribers. The exit regulations specified hereunder shall apply accordingly to the category to which the subscribers.

IndiaCode

3. Exit from National Pension System for government sector subscribers.-A government sector subscriber shall exit from the National Pension System in the manners specified hereunder, namely:-

(a) Where the subscriber who, upon attaining the age of superannuation as prescribed by the service rules applicable to him or her, retires, then at least forty per cent. out of the accumulated pension wealth of such subscriber shall be mandatorily utilized for purchase of annuity providing for a monthly or any other periodical pension and the balance of the accumulated pension wealth, after such utilization, shall be paid to the subscriber in lump sum:

Provided that,-

(i) the following shall be the default annuity contract that will be applicable and wherein the annuity contract shall provide for annuity for life of the subscriber and his or her spouse (if any) with provision for return of purchase price of the annuity and upon the demise of such subscriber, the annuity be re-issued to the family members in the order specified hereunder at a premium rate prevalent at the time of purchase of such annuity by utilizing the purchase price required to be returned under the annuity contract (until all the family members in the order specified below are covered) :

(a) living dependent mother of the deceased subscriber;

(b) living dependent father of the deceased subscriber.

After the coverage of all the family members specified above, the purchase price shall be returned to the surviving children of the subscriber and in the absence of children, the legal heirs of the subscriber, as may be applicable;

the subscriber who wishes to opt out of the default option mentioned above and wishes to choose the annuity contract of his choice from the available annuity types or contracts with the annuity service providers, shall be required to specifically opt for such an option.

(ii) where the subscriber does not desire to withdraw the balance amount, after purchase of mandatory annuity, such subscriber shall have the option to defer the withdrawal of the lump sum amount until he or she attains the age of seventy years, provided the subscriber intimates his or her intention to do so in writing in the specified form at least fifteen days before the attainment of age of superannuation to the National Pension System Trust or an intermediary or entity authorized by the Authority for this purpose;

(iii) where the subscriber desires to defer the purchase of annuity, he or she shall have the option to do so for a maximum period of three years from the date of attainment of age of superannuation, provided the subscriber intimates his or her intention to do so in writing in the specified form at least fifteen days before the attainment of age of superannuation to the National Pension System Trust or an intermediary or entity authorized by the Authority for this purpose. It shall be a condition precedent to opt for such deferment of annuity purchase that in case if the death of the subscriber occurs before such due date of purchase of an annuity after the deferment, the annuity shall mandatorily be purchased by the spouse (if any) providing for annuity for life of the spouse with provision for return of purchase price of the annuity and upon the demise of such spouse be re-issued to the family members in the order of preference provided hereunder at a premium rate prevalent at the time of purchase of the annuity, utilizing the purchase price required to be returned under the contract (until all the members given below are covered):-

(a) living dependent mother of the deceased subscriber ;

(b) living dependent father of the deceased subscriber.

After the coverage of all such members, the purchase price shall be returned to the surviving children of the subscriber and in absence of children legal heirs of the subscribers as applicable;

(iv) where the subscriber desires to defer the withdrawal of lump sum amount or, the purchase of annuity, the subscriber shall be allowed to do so, provided the subscriber agrees to bear the maintenance charges of the Permanent Retirement Account, including the charges payable to the central recordkeeping agency, pension fund, Trustee Bank or any other intermediary, as may be applicable from time to time;

(v) where the accumulated pension wealth in the Permanent Retirement Account of the subscriber is equal to or less than a sum of two lakh rupees, the subscriber shall have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth without purchasing annuity and upon such exercise of this option, the right of such subscriber to receive any pension or other amount under the National Pension System or from the government shall extinguish;

(b) where the subscriber who, before attaining the age of superannuation prescribed by the service rules applicable to him or her, voluntarily retires or exits, then at least eighty per cent. out of the accumulated

pension wealth of the subscriber shall mandatorily be utilized for purchase of annuity and the balance of the accumulated pension wealth, after such utilization, shall be paid to the subscriber in lump sum:

Provided that the annuity contract shall provide for annuity for life of the subscriber and his or her spouse (if any) with provision for return of purchase price of the annuity and upon the demise of such subscriber the annuity be re-issued to the family members in the order specified hereunder at a premium rate prevalent at the time of purchase of the annuity, utilizing the purchase price required to be returned under the annuity contract (until all the members given below are covered) :-

(i) living dependent mother of the deceased subscriber ;

(ii) living dependent father of the deceased subscriber.

After the coverage of all such members, the purchase price shall be returned to the surviving children of the subscriber and in absence of children, the legal heirs of the subscriber as may be applicable.

Provided that if the accumulated pension wealth of the subscriber is more than one lakh rupees but the age of the subscriber is less than the minimum age required for purchasing any annuity from any of the empanelled annuity service providers as chosen by such subscriber, such subscriber shall continue to subscribe to the National Pension System, until he or she attains the age of eligibility for purchase of any annuity:

Provided further that if the accumulated pension wealth of the subscriber is equal to or less than one lakh rupees, such subscriber shall have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth without purchasing any annuity and upon such exercise of this option the right of the subscriber to receive any pension or other amounts under the National Pension System shall extinguish and any such exercise of this option by the subscriber, before the regulations are notified, shall be deemed to have been made in accordance with this regulation;

(c) where the subscriber who, before attaining the age of superannuation, dies, then at least eighty percent out of the accumulated pension wealth of the subscriber shall be mandatorily utilized for purchase of annuity and balance pension wealth shall be paid as lump sum to the nominee or nominees or legal heirs, as the case may be, of such subscriber:

Provided that,-

(i) The annuity contract shall provide for annuity for life of the spouse of the subscriber (if any) with provision for return of purchase price of the annuity and upon the demise of such spouse be re-issued to the family members in the order specified hereunder at the premium rate prevalent at the time of purchase of the annuity, utilizing the purchase price required to be returned under the contract (until all the members given below are covered):-

(a). living dependent mother of the deceased subscriber ;

(b) living dependent father of the deceased subscriber .

After the coverage of all such members, the purchase price shall be returned to the surviving children of the subscriber and in absence of children, the legal heirs of the subscriber as applicable.

(ii) Provided further that if the accumulated pension wealth in the permanent retirement account of the subscriber at the time of his death is equal to or less than two lakh rupees, the nominee or legal heirs as the case may be, shall have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth without requiring to purchase any annuity and upon such exercise of this option the right of the family members to receive any pension or other amounts under the National Pension System shall extinguish;

4. Exit from National Pension System by citizens, including corporate sector subscribers.- Any subscriber, including a corporate sector subscriber, registered under the National Pension System, shall exit from the National Pension System in the manner specified hereunder, namely:-

(a) where a subscriber attains the age of sixty years or superannuates in accordance with the service rules applicable to such subscriber, at least forty percent out of the accumulated pension wealth of such subscriber shall be mandatorily utilized for purchase of annuity providing for a monthly or any other periodical pension and the balance of the accumulated pension wealth, after such utilization, shall be paid to the subscriber in lump sum. In case, the accumulated pension wealth of the subscriber is equal to or less than a sum of two lakh rupees, the subscriber shall have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth without purchasing any annuity:

Provided that,-

(i) the subscriber can continue to subscribe to the National Pension System beyond the age of sixty years or the age of superannuation, so specified, by intimating in writing, the age, not exceeding seventy years, until which he would like to contribute to his individual pension account.

Such intimation shall be given to the National Pension System Trust or any intermediary or entity authorized by the Authority for this purpose. Notwithstanding such intimation, the subscriber may exit at any point of time, from the National Pension System by submitting a request in writing to the National Pension System Trust or any intermediary or entity authorized by the Authority for this purpose ;

(ii) the subscriber shall have the option to defer the withdrawal of lump sum amount until he or she attains the age of seventy years, provided the subscriber intimates his or her intention to do so in writing in the specified form at least fifteen days before the attainment of age of sixty years or, the age of superannuation, as the case may be, to the National Pension System Trust or any intermediary or entity authorized by the Authority for this purpose;

(iii) the subscriber shall have the option to defer the purchase of annuity for a maximum period of three years, from the date of attainment of sixty years of age or the age of superannuation, as the case may be, provided the subscriber intimates his or her intention to do so in writing in the specified form at least fifteen days before the attainment of age of sixty years or the age of superannuation, as the case may be, to the National Pension System Trust or any intermediary or other entity authorized by the Authority for this purpose;

IndiaCode

(iv) the subscriber shall be allowed to continue to subscribe, defer the withdrawal of lump sum amount or the purchase of annuity, as the case may be, provided the subscriber agrees to bear the maintenance charges of the Permanent Retirement Account, including the charges payable to the central recordkeeping agency, pension fund, Trustee Bank or any other intermediary, as may be applicable from time to time;

(b) where the subscriber who, before attaining the age of sixty years or the age of superannuation as prescribed by service rules, voluntarily opts to exit from the national pension system, the option so exercised shall be allowed only upon such subscriber having subscribed to the national pension system for at least a minimum period of ten years. In case of such subscriber, at least eighty percent out of the accumulated pension wealth shall be mandatorily utilized for purchase of annuity and the balance of the accumulated pension wealth, after such utilization, shall be paid to the subscriber in lump sum:

Provided that if the accumulated pension wealth of the subscriber is more than one lakh rupees but the age of the subscriber is less than the minimum age required for purchasing any annuity from any of the empanelled annuity service providers as chosen by such subscriber, such subscriber shall continue to subscribe to the National Pension System, until he or she attains the age of eligibility for purchase of any annuity:

Provided further that if the accumulated pension wealth in the Permanent Retirement Account of the subscriber is equal to or less than one lakh rupees, such subscriber shall have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth without purchasing any annuity;

(c) where the subscriber who, before attaining the age of sixty years or the age of superannuation as prescribed by the respective service rules applicable to him or her, dies, then the entire accumulated pension wealth of the subscriber shall be paid to the nominee or nominees or legal heirs, as the case may be, of such subscriber:

Provided that,-

(i) the nominee or family members of the deceased subscriber shall have the option to purchase any of the annuities being offered upon exit, if they so desire, while applying for withdrawal of benefits on account of deceased subscribers' Permanent Retirement Account;

(ii) in case, the nomination is not registered by the deceased subscriber before his death, the accumulated pension wealth shall be paid to the family members on the basis of the legal heir certificate issued by the Revenue authorities of the State concerned or the succession certificate issued by a court of competent jurisdiction.

5. Exit from National Pension System by NPS-Lite and Swavalamban subscribers.-Any subscriber registered under National Pension System as NPS-Lite or Swavalamban subscriber, can exit from the National Pension System, in the manner specified hereunder, namely:-

(a) Upon a subscriber, attaining the age of sixty years, at least forty percent of the accumulated pension wealth of such subscriber shall be mandatorily utilized for purchase of annuity providing for a monthly or any other periodical pension and the balance of the accumulated pension wealth, after such utilization, shall be paid to the subscriber in lump sum:

Provided that,-

(i) for a Swavalamban subscriber the annuity purchased by utilizing the mandatory minimum of forty percent. of the accumulated pension wealth of the subscriber shall yield at least a monthly annuity or pension of one thousand rupees, failing which the entire accumulated pension wealth shall be annuitised in such a manner so as to yield at least a monthly annuity or pension of one thousand rupees and balance if any thereafter shall be paid in lump sum to the subscriber. However there shall be no implicit or explicit guarantee that the annuity purchased even with entire accumulated pension wealth would yield a monthly annuity or pension of one thousand rupees;

(ii) if the accumulated pension wealth of the subscriber is equal to or less than a sum of one lakh rupees, such subscriber shall have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth without purchasing any annuity and upon such exercise of this option, the right of the subscriber to receive any pension under the National Pension System shall extinguish and any such exercise of this option by the subscriber, before the regulations are notified, shall be deemed to have been made in accordance with this regulation;

(b) at any time, before attaining the age of sixty years, subject however that at least eighty percent out of the accumulated pension wealth shall be mandatorily utilized for purchase of annuity and the balance of the accumulated pension wealth, after such utilization shall be paid to the subscriber in lump sum:

Provided that for a Swavalamban subscriber the annuity purchased by utilizing the mandatory minimum of forty percent. Out of the accumulated pension wealth shall yield at least a monthly annuity or pension of one thousand rupees per month, failing which the entire accumulated pension wealth shall be annuitised in such a manner so as to yield at least a monthly annuity or pension of one thousand rupees and balance if any thereafter shall be paid as lump sum to the subscriber. However there shall be no implicit or explicit guarantee that the annuity purchased even with entire accumulated pension wealth would yield a monthly annuity or pension of one thousand rupees:

Provided that subject to the provisions of this clause, where the accumulated pension wealth does not exceed one lakh rupees, the whole of the pension wealth shall be paid to the subscriber, without any annuitisation if the subscriber has continued in the scheme for a minimum period of twenty-five years;

Provided further that the migration of Swavalamban subscriber or subscribers to any other pension scheme of Government of India and as approved by the Authority shall not be deemed as an exit and withdrawal for the purposes of these regulations.

(c) where a subscriber who, before attaining the age of sixty years, dies, the entire accumulated pension wealth of the subscriber shall be paid to the nominee, or the legal heir of such subscriber and there shall not be any condition of mandatory purchase of annuity and provision of a monthly or periodical pension and there shall not be any requirement of the annuitisation of the accumulated pension wealth of such deceased

IndiaCode

subscriber. The nominee or family members of the deceased subscriber shall have the option to purchase any of the annuities being offered upon exit, if they so desire:

Provided that, where a nomination is not registered by the subscriber before his death, the accumulated pension wealth of such subscriber shall be paid to the family members on the basis of the legal heir certificate issued by the Revenue authorities of the State concerned or the succession certificate issued by a court of competent jurisdiction.

6. Conditions to apply for exit and withdrawal.- A subscriber registered under the National Pension System shall not exit therefrom, and no withdrawal from the accumulated pension wealth in the Tier-1 of the Permanent Retirement Account of such subscriber shall be permitted, except as specified hereunder, namely:-

(a) no pension or accumulated pension wealth in Tier-I account of the Permanent Retirement Account of the subscriber under the National Pension System on account of past or present services, shall be liable to seizure, attachment or sequestration by process of any court at the instance of a creditor, for any demand against the subscriber, or in the satisfaction of a decree or order of any such Court except where the National Pension System Trust or its authorised representative has accorded prior sanction for assignment of the pension wealth accumulated in the pension account of the subscriber, which shall be restricted to such limit as prescribed in Regulation 8;

(b) any assignment, pledge, contract, order, sale or security of any kind made by any subscriber of the National Pension System, with respect to any benefit receivable by him or her under the National Pension System, or in respect of any money payable at or on account of any such benefit to such subscriber under the National Pension System, or for giving or assigning any future interest therein shall be null and void except where the National Pension System Trust or its authorized representative has accorded prior permission for such assignment of the pension wealth accumulated in the pension account of the subscriber and which shall be restricted to such limit as prescribed in Regulation 8 to which the assignment was agreed or approved by the National Pension System Trust or its authorised representative;

(c) the President of India or the Governor of a State, as the case may be, if so provided in the service rules, governing the employment of the subscriber, reserves the right of withholding the part of pension wealth, accumulated through co-contributions made by the Central Government or the State Government, as employer to the Tier-I account of the National Pension System account of the subscriber and the investment income accruing thereon, for the purpose of recovery of the whole or part of any pecuniary loss caused to the Central Government or the State Government, provided such loss is established, in any departmental or judicial proceedings, initiated against such subscriber by the employer concerned..

Such right of withholding shall have to be exercised prior to the date of superannuation of the subscriber, pursuant to a notice to be given to the National Pension System Trust or an entity to whom such authorization has been given, and seeking to withhold the said pension wealth of such subscriber. Upon such right of withholding being validly exercised:-

IndiaCode

(i) the pension wealth which are payable under the National Pension System shall not be paid to such subscriber until the conclusion of the departmental or judicial proceedings, as the case may be and subject to the final orders, passed in such proceedings.;

(ii) the amount withheld as specified in sub-clause (i) shall remain subscribed to the scheme in the mode and manner in which it was held prior to resorting to such action by the concerned Government and the final settlement of the withheld amount shall be made by the National Pension System Trust, or any intermediary or other entity, authorized for this purpose by the Authority, normally within ninety days of the receipt of an appropriate order from the concerned Government;

(iii) the amount withheld becomes payable to the subscriber on the final settlement, as certified by the concerned Government department which has sought withholding of such benefits, and shall be paid to the subscriber as soon as possible and in no case beyond ninety days of receipt of the final order by the National Pension System Trust or any other entity or person, authorized for the purpose by the Authority;

(e) If the subscriber or the family members of the deceased subscriber, upon his death, avails the option of additional relief on death or disability provided by the Government, the Government shall have right to adjust or seek transfer of the entire accumulated pension wealth of the subscriber to itself. The subscriber or family members of the subscriber availing such benefit shall specifically and unconditionally agree and undertake to transfer the entire accumulated pension wealth to the Government, in lieu of enjoying or obtaining such additional reliefs like family pension or disability pension or any other pensionary benefit from such Government authority;

(g) all benefits receivable, including the purchase of annuity as specified under these regulations, shall be arranged to be paid by the National Pension System Trust or the central recordkeeping agency or any other entity authorized for the purpose by the Authority after processing the withdrawal applications in accordance with the provisions of these regulations, or any guidelines, order or notification, as may be issued by the Authority, from time to time;

(h) for a subscriber, exiting from Tier-I account under the National Pension System, the amounts lying in the Tier-II account shall also be monetized and closed simultaneously upon payment of the eligible benefit;

CHAPTER III

WITHDRAWALS, PURPOSE, FREQUENCY AND LIMITS UNDER NATIONAL PENSION SYSTEM

7. Conditions of withdrawals under National Pension System.- The National Pension System Trust or the central recordkeeping agency acting on behalf of the National Pension System Trust or any other entity authorized by the Authority for the purpose , may on receipt of an application for withdrawal from a subscriber in the specified form and subject to fulfillment of conditions so specified may allow withdrawal from the National Pension System in the mode and manner permitted under these regulations, guidelines, circulars, orders or notifications issued by the Authority from time to time:

Provided that the subscriber shall be required to submit the application form for withdrawal, specified for the purpose, along with documents, so specified and comply with the requirements contained in the operational

guidelines issued by the Authority with respect to the permissible withdrawals under the National Pension System.

8. The following withdrawals shall be permitted under National Pension System.- (1) A partial withdrawal of accumulated pension wealth of the subscriber, not exceeding twenty-five per cent. of the contributions made by the subscriber and excluding contribution made by employer, if any, at any time before exit from National Pension System subject to the terms and conditions, purpose, frequency and limits specified below:-

(A) Purpose**:** A subscriber on the date of submission of the withdrawal form, shall be permitted to withdraw not exceeding twenty-five percent of the contributions made by such subscriber to his individual pension account, for any of the following purposes only:-

(a) for Higher education of his or her children including a legally adopted child

(b) for the marriage of his or her children, including a legally adopted child;

(c) for the purchase or construction of a residential house or flat in his or her own name or in a joint name with his or her legally wedded spouse.

In case, the subscriber already owns either individually or in the joint name a residential house or flat,other than ancestral property, no withdrawal under these regulations shall be permitted;

(d) for treatment of specified illnesses: if the subscriber, his legally wedded spouse, children, including a legally adopted child or dependent parents suffer from any specified illness, which shall comprise of hospitalization and treatment in respect of the following diseases:

(i) Cancer;
(ii) Kidney Failure (End Stage Renal Failure);
(iii) Primary Pulmonary Arterial Hypertension;
(iv) Multiple Sclerosis;
(v) Major Organ Transplant;
(vi) Coronary Artery Bypass Graft;
(vii) Aorta Graft Surgery;
(viii) Heart Valve Surgery;
(ix) Stroke;
(x) Myocardial Infarction
(xi) Coma;
(xii) Total blindness;
(xiii) Paralysis;
(xiv) Accident of serious/ life threatening nature.
(xv) any other critical illness of a life threatening nature as stipulated in the circulars, guidelines or notifications issued by the Authority from time to time.

(B) Limits: the permitted withdrawal shall be allowed only if the following eligibility criteria and limit for availing the benefit are complied with by the subscriber:-

(a) the subscriber shall have been in the National Pension System at least for a period of last ten years from the date of his or her joining;

(b) the subscriber shall be permitted to withdraw accumulations not exceeding twenty-five per cent of the contributions made by him or her and standing to his or her credit in his or her individual pension account, as on the date of application for withdrawal;

(C) Frequency: the subscriber shall be allowed to withdraw only a maximum of three times during the entire tenure of subscription under the National Pension System and not less than a period of five years shall have elapsed from the last date of each of such withdrawal. The mandatory requirement of five years having elapsed between two withdrawals shall not apply in case of "treatment for specified illnesses or in case of withdrawal arising out of exit from National Pension System due to the death of the subscriber. The request for withdrawal in the specified form, shall be submitted by the subscriber, along with relevant documents to the central recordkeeping agency or the National Pension System Trust, as may be specified, for processing of such withdrawal claim. Provided that where a subscriber is suffering from any illness, specified in sub-clause (d), the request for withdrawal may be submitted, through any family member of such subscriber.

(2) A subscriber having a valid and active Tier-II account of the Permanent Retirement Account can withdraw the accumulated wealth either in full or part, at any time by applying for such withdrawal, on such application form and in such mode and manner, as may be specified by the Authority in this behalf. There shall be no limit on such withdrawals till the account has sufficient amount of accumulated pension wealth to take care of the applicable charges and the withdrawal amount:

Provided that the Tier-II account shall stand automatically closed at the time of exit of the subscriber from the National Pension System, even if an application so specified for the purpose has not been received from the subscriber, and the accumulated wealth in such account shall be transferred to the bank account provided by the subscriber, while submitting his application for exit from the National Pension System.

9. Withdrawal process.- (1) The National Pension System Trust or any other intermediary or entity authorized by the Authority for the said purpose shall be responsible for processing and authorizing approving the withdrawal and exit claims lodged by the subscriber in accordance with the provisions of the Act, these regulations, directions, guidelines issued by the Authority and the Pension Fund Regulatory and Development Authority (National Pension System Trust) Regulations, 2015, where applicable. The National Pension System Trust shall frame suitable operational processes or guidelines for facilitating withdrawals and Exit of subscribers from National Pension System.

CHAPTER IV

ANNUITY PURCHASE AND ANNUITY SERVICE PROVIDERS

10. Conditions of annuity purchase upon exit.- (1) The subscriber, at the time of exit, shall mandatorily purchase an annuity providing for a monthly or periodical annuity or pension as specified in these regulations. Such annuity shall be purchased from an annuity service provider who is empanelled by the Authority.

(2) The exercise of option of the annuity and the type thereof shall be made by the subscriber at the time of exit from the National Pension System, unless otherwise specified by the Authority through circulars, notifications or guidelines issued by it from time to time.

(3) Once an annuity is purchased, the option of cancellation and reinvestment with another annuity service provider or in another annuity scheme shall not be allowed unless the same is within the time limit specified

by the annuity service provider, for the free look period as provided in the terms of the annuity contract or as specifically provided by the Insurance Regulatory and Development Authority.

(4) The subscriber shall have an option to choose from various types of annuities, provided by the annuity service provider and the annuity so chosen shall be provided by the empanelled annuity service provider.

(5) There shall be a default annuity service provider and a default annuity scheme for the benefit of subscribers exiting from the National Pension System. The information on the default annuity service provider and default annuity scheme applicable shall be such as may be specified by the Authority and placed on its website, apart from communicating to the subscriber through circulars, guidelines or notification issued by it. Such default annuity scheme shall not be available or applicable in the case of Government subscribers covered under regulation 3.

11. Empanelment of annuity service providers.- (1) On and from the commencement of these regulations, an applicant, meeting the eligibility criteria as specified in these regulations for grant of an empanelment certificate to act as an empanelled annuity service provider, shall make an application in the specified form accompanied by a empanelment fee referred to in sub-regulation (2) and such documents in support thereon, as may be specified by the Authority.

IndiaCode

(2) One time empanelment fee of rupees one lakh, shall be submitted along with the application, to the Authority. The empanelment fee shall be realized by the Authority within fifteen days from the date of sending intimation of grant of certificate of empanelment under regulation 17:

Provided that every empanelled annuity service provider shall, at the time of renewal of empanelment certificate pay such renewal fees, if any, as may be specified by the Authority, from time to time through a circular, order or notification issued by it.

(3) An application, not complete in all respects and not conforming to the instructions specified in the application form and these regulations shall be rejected. Provided that, before rejecting any such application, the applicant shall be given a reasonable opportunity to withdraw or complete the application in all respects and rectify the errors, if any. The Authority may seek such additional information for disposal of the application from the Applicant as may be deemed relevant.

(4) An annuity service provider empanelled by the Interim Pension Fund Regulatory and Development Authority prior to the commencement of these regulations , may continue to act as such, for a period of ninety days from the notification of these regulations or, if it makes an application for grant of empanelment till the disposal of its application by the Authority.

12. Eligibility criteria for grant of certificate.- (1) The following shall be the eligibility criteria for any applicant to act as an empanelled annuity service provider:-

(a) any Life Insurance Company registered and regulated by the Insurance Regulatory and Development Authority and dealing with annuity products in the domestic market for the last three years;

(b) the applicant having a minimum net worth of rupees two hundred and fifty crores;

(c) the applicant shall have competency in design, development and offering of annuity products, which is demonstrable by the details of the annuity products filed with the Insurance Regulatory and Development Authority;

(d) not barred from dealing with or selling annuity products in the market by the Insurance Regulatory and Development Authority;

(e) any other criteria as may be specified by the Authority from time to time through resolutions, notifications, circulars, guidelines, norms or memoranda.

(2) The Authority reserves the right to waive or modify some or all of the above criteria for reasons to be recorded in writing.

13. Disclosure of information.- (1) The Authority, having regard to the interest of the subscribers may, have the right to disclose to the public, of the information on the application made by the applicant.

(2) Any material change in the information furnished to the Authority while making the application for empanelment or subsequently shall be intimated to the Authority by the annuity service provider promptly but not later than thirty days of the occurrence of such change.

14. Furnishing of information and clarification.- (1) The Authority may require the applicant to furnish any further information or clarification, for the purpose of disposal of the application for empanelment, and, thereafter, in regard to any other matter as may be deemed necessary by the Authority. The applicant or its principal officer shall, if so required, appear before the Authority for a personal representation in connection with the application;

(2) The applicant shall furnish such information and clarification to the satisfaction of the Authority, within the time specified in this regard by the Authority.

15. Verification of information.- (1) While considering the application and the information furnished by the applicant and its eligibility, the Authority may, if it so desires, verify the information in any manner, as it deems necessary, including by physical verification of documents, office space, and inspection of the availability of office space, infrastructure, and technological support which the applicant is required to have.

(2) For the purpose of verification of information, the Authority may appoint any person including any of its officers or an auditor or an external agency.

16. Consideration of application.- (1) For considering the eligibility of the applicant and grant of certificate of empanelment to such applicant, the Authority shall take into account all matters which it deems relevant to the activities in the pension sector and the National Pension System, including but not limited to the following:-

(a) whether the applicant or any of its associates have in the past been refused grant of empanelment certificate by any of the financial sector regulators in India including the Reserve Bank of India, the Securities

and Exchange Board of India, the Insurance Regulatory and Development Authority and the Authority and if so, the ground for such refusal;

(b) whether the applicant has in the past five years been imposed with penalties by any of the financial regulators such as the Reserve Bank of India, the Securities and Exchange Board of India, the Insurance Regulatory and Development Authority and the Authority or by a court of law or tribunal, on matters concerning violation of provisions of the laws, the regulations made or directions, guidelines and circulars issued by the respective regulator and if so, the ground for such refusal;

(c) whether the applicant satisfies the eligibility criteria and other requirements as specified in these regulations;

(d) whether the grant of a certificate to the applicant is in the interest of the subscribers and or the orderly development of pension sector or of the National Pension System.

(2) While considering the application, the Authority may invite the applicant to make a presentation to the Authority on such a date, time and place determined by the Authority. The purpose of such presentations shall be to allow the applicants to present its proposal to the Authority and to explain the key strengths in its proposal.

IndiaCode

(3) Any application for grant of certificate of empanelment,-

(a) which is not complete in all respects and does not conform to the requirements in the and the requirements specified in these regulations;

(b) which does not contain such additional information as required by the Authority;

(c) which is incorrect, false or misleading in nature;

(d) where the applicant is not in compliance with the eligibility requirements as set out under these regulations;

(e) which in the opinion of the Authority is not in the interest of subscribers and or the objective of orderly development of the pension sector or the National Pension System;

(f) where the applicant is not a 'fit and proper person';

shall be rejected by the Authority for reasons to be recorded by it in writing.

(4) Before rejecting an application, the applicant shall be given an opportunity in writing to make good the deficiencies within the time specified by the Authority, for the purpose:

Provided that where an application is rejected for the reason that it contains false or misleading information, no such opportunity may be given and the applicant shall not make any application for grant of certificate under these regulations or any other regulations for a period of one year from the date of such rejection.

(5) An application for grant of certificate of empanelment, under these regulations, which is complete in all respects, shall be disposed of by the Authority, within a period of sixty days from the date of receipt of such request.

17. Procedure for grant of certificate of empanelment.- (1) The Authority on being satisfied that the applicant is eligible, shall grant a certificate of empanelment in the form specified in Annexure III and send an intimation to the applicant in this regard:

Provided that where a pending proceeding before the Authority or any court or tribunal may result in the suspension or cancellation of the certificate, the Authority may give a conditional certificate of empanelment.

(2) Within thirty working days of the date of receipt of certificate of empanelment, the annuity service provider shall enter into an agreement with the National Pension System Trust or the central recordkeeping agency for the purpose of operationalization of the process for purchase of annuities by the subscribers of the National Pension System.

18. Conditions of certificate of Empanelment.—Any certificate of empanelment granted by the Authority to an annuity service provider shall be subject to the following conditions, namely,-

(a) where the annuity service provider proposes to change its status or constitution, it shall intimate to the Authority of such information along with the approval obtained from the Insurance Regulatory and Development Authority, for continuing to act as an annuity service provider;

(b) it shall pay the applicable fees in accordance with these regulations;

(c) it shall abide by the provisions of the Act, the rules and the regulations made or any direction, guidelines or circulars as may be issued by the Authority thereunder;

(d) it shall abide by the provisions of the Insurance Act, 1938, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 and the rules and regulations framed thereunder.

(e) it shall meet the eligibility criteria and other requirements specified in these regulations throughout the tenure of the certificate of empanelment:

Provided that the Authority may impose such other and further conditions as it may deem fit in the interest of subscribers or for orderly development of the National Pension System or the Pension sector.

19. Effect of refusal to grant certificate of empanelment or expiry of certificate of empanelment.—(1) Where an existing annuity service provider has failed to apply for renewal of empanelment of certificate and upon expiry of certificate of empanelment or has been refused grant of certificate of empanelment under these regulations, or has surrendered its certificate, or has been directed to be wound up by an order of a court, such annuity service provider shall,-

(a) forthwith cease to act as an annuity service provider for subscribers of National pension System;

(b) make provisions as regards liability incurred or assumed by the annuity service provider, if any;

(c) take such other action, within the time limit and in the manner, as may be required under the relevant regulations or as may be directed by the Authority.

(2) While refusing grant of certificate of empanelment under these regulations to an annuity service provider, the Authority may impose such conditions upon the annuity service provider as it deems fit for protection of interest of the subscribers and such conditions shall be complied with.

20. Period of validity of certificate of empanelment.- (1) Subject to compliance with the provisions of the Act, these regulations, the certificate granted to an annuity service provider shall be valid unless surrendered by it or suspended or cancelled in accordance with these regulations.

(2) An Annuity Service Provider who has been granted a certificate of empanelment, to keep such empanelment in force, shall pay a fee of rupees twenty-five thousand within ninety days before the expiry of five years from the date of first empanelment or date of the payment of fee last accepted by the Authority, by way of making an application in the specified form to the Authority.

21. Exemptions in certain cases from eligibility criteria.- (1) If any of the applicants does not fulfill any of the eligibility criteria as specified for the annuity service provider, it may request the Authority through an application seeking exemption from such criteria.

(2) The Authority, if in its opinion feels, that the non-fulfillment of the eligibility conditions of which relaxation is sought would not prejudicially affect the interest of the subscribers, and such relaxation would not hamper orderly development of the pension sector and more specifically the National Pension System, it may grant exemption from some of the criteria to such entity for reasons to be recorded in writing. The Authority may in such circumstances impose such additional conditions as it may deem fit for grant of empanelment. .

IndiaCode

22. Duties and responsibilities of empanelled annuity service providers.- (1) The main functions of a empanelled annuity service provider is,-

(a) to provide different kinds of immediate annuities to the subscribers at the time of exit from the National Pension System;

(b) to provide minimum immediate annuity variants options as required by the Authority and to be able to provide any new variant as required by the Authority from time to time in the interest of subscribers in conformity with the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) and the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), and the rules, regulations and guidelines made thereunder;

(c)to provide monthly or any other periodical annuity payment to the subscriber for the annuity contract purchased by the subscriber under the National Pension System;

(d) the annuity service provider shall be responsible for handling the grievances and issues related to or arising out of the entering into the annuity contract with the subscribers under the National Pension System.

(2) The initial customer interaction for the National Pension System, shall be,-

(a) addressing queries of potential subscribers regarding purchase of annuities;

(b) providing and displaying of Insurance Regulatory and Development Authority approved information on annuities and application form or offer document or other publicity material pertaining to immediate annuities available including the annuity calculators.

(3) Subscriber registration for purchase of annuity,-

(a) to make available the necessary infrastructure required for receipt and acceptance of applications with the specified premiums and issuance of annuity contracts in line with the approvals granted by the Insurance Regulatory and Development Authority;

(b) facilitate or provide infrastructure required for online purchase of annuity products by the subscribers through the central record keeping agency registered and regulated by the Authority, including the necessary software support. The annuity service provider shall provide the necessary application forms, literature on the available annuities and other facilities available to the subscribers through the central recordkeeping agency system or any other mode specified for the purpose;

(c) issuance of the annuity contract as per the choice of the subscriber provided in the annuity application in line with these regulations and guidelines specified by the Insurance Regulatory and Development Authority;

(d) the annuity service provider shall be responsible for delivering the monthly, quarterly or annual pension or annuity as chosen by the subscriber under the National Pension System in the annuity application form and the annuity contract entered by such subscriber. However, in case of government sector subscribers, the annuity payable shall be on monthly basis only;

(e) the annuity service provider shall be responsible for collection, verification and subsequent actions for issuance of annuity contracts against purchases by subscribers under the National Pension System from the central recordkeeping agency or its representative or other entity which is authorized by the Authority for the purpose;

(f) the annuity service provider shall provide the information on annuity purchases made by the subscribers under the National Pension System to the National Pension System Trust and the central recordkeeping agency in the form, format and interval to be specified by the National Pension System Trust.

(4) The handling of subscriber requests such as receiving, processing and effecting requests from the subscribers for change in address, nomination or any other activity in connection with the annuity contract entered into by the annuity service provider.

(5) The annuity service provider shall be responsible for receiving from, and resolving the, grievances of subscribers under the National Pension System who had purchased the annuity from it and follow them up till their redressal in accordance with the grievance redressal guidelines or regulations for insurers issued by the Insurance Regulatory and Development Authority.

(6) Any complaint from a subscriber relating to the services provided shall be dealt by the annuity service provider and settled in accordance with the provisions of the Insurance Regulatory and Development Authority, Act 1999 (41 of 1999), and the rules and regulations made thereunder, by the annuity service provider under intimation to the National Pension System Trust. This shall be without prejudice to the powers of the Authority to cancel or suspend the empanelment of the annuity service provider or take such other measures as deemed necessary in the subscriber's interest.

23. Fees and charges to be charged from the subscribers.- There shall not be any additional fees or charges other than the premium as approved by the Insurance Regulatory and Development Authority for the product

but excluding any taxes imposed by the Government. There shall not be any additional intermediation expense or charge for the product issued to the subscribers.

24. Appointment of compliance officer.- (1) Each annuity service provider shall appoint a compliance officer who shall be responsible for monitoring compliance of duties of annuity service provider as provided under these regulations and any other rules, regulations, guidelines issued by the Insurance Regulatory and Development Authority and for redressal of grievances reported by the subscribers who have purchased the annuities from the annuity service provider upon exit from the National Pension System. The name and details of such compliance officer shall be intimated to the Authority within thirty days of such appointment.

(2) The compliance officer shall be responsible for activities related to the coordination with other entities in the National Pension System like the National Pension System Trust, the central recordkeeping agency, Trustee Bank or any other specific entity connected with annuity purchases or any activity related to it.

25. Code of conduct.-The empanelled annuity service provider shall at all times observe the code of conduct for insurers or any other similar rules, guidelines or regulations specified by the Insurance Regulatory and Development Authority for fair dealing in activities related to the annuity purchase by subscribers.

26. Power of the Authority to take up any of the matters associated with Insurance Regulatory and Development Authority.-In order to remove any difficulties in the annuity purchase, grievances arising out of annuity purchase or any other matter associated with annuity purchase by subscribers under the National Pension System, the Authority may take up the matter directly with the Insurance Regulatory and Development Authority.

27. Confidentiality.- The empanelled annuity service provider shall maintain absolute confidentiality with respect to all records, data and information received by it under the National Pension System including information received from a subscriber. The annuity service provider shall not, without the prior permission of the Authority, produce or share such data or information as evidence, or for any other purpose, except as required by the due process of law.

28. Cancellation of empanelment.-The Authority may cancel the empanelment of an annuity service provider, after giving a reasonable opportunity of hearing and for reasons to be recorded in writing.

CHAPTER V
INSPECTION AND AUDIT

29. Inspection and audit.-(1) The powers of the Authority with respect to audit and inspection of intermediaries entrusted with the functions of managing the withdrawals from the National Pension System shall be in accordance with the regulations governing the specific intermediaries under the National Pension System.

IndiaCode

CHAPTER VI

INQUIRY

30. Conduct of inquiry.- (1) The inquiry proceedings and action in case of default shall be in accordance with the regulations governing the specific intermediaries like the National Pension System Trust, the central recordkeeping agency or any other intermediary.

(2) Where the default involves, the National Pension System Trust, the central recordkeeping agency and or any other intermediary, a common inquiry may be held for the purpose.

CHAPTER VII

MISCELLANEOUS

31. Prevention of fraud or mismanagement.-The National Pension System Trust or the central recordkeeping agency or the annuity service provider or any other intermediary or entity entrusted with the functions of managing the withdrawals from the National Pension System by the Authority shall take all possible steps to prevent fraud or mismanagement of the withdrawals of the subscribers upon exit from the National Pension System.

32. Nomination.-Notwithstanding anything contained in these regulations or in any other law for the time being in force, a subscriber, at the time of joining the National Pension System is required to make a nomination, in the specified form, conferring on one or more persons the right to receive the amount that may stand to his or her credit in the accumulated wealth or fund in the event of his or her death, before that amount becomes payable or having become payable has not been paid. The nominee or nominees, as the case may be, shall be entitled, on the death of the subscriber, to receive, to the exclusion of all other persons, all such moneys which have so remained unpaid:

Provided that,-

(i) if the nominee predeceases the subscriber, the nomination shall so far as it relates to the right conferred upon the said nominee, become void and of no effect;

(ii) where a provision has been duly made in the nomination, in accordance with these regulations, conferring upon some other person the right to receive all such moneys, which have so remained unpaid, in the event of the nominee predeceasing the subscriber, such right shall, upon the nominee being deceased , pass to such other persons standing as nominees;

(iii) a subscriber may in his nomination distribute the amount that may stand to his credit in the fund amongst his nominees at his own discretion;

(iv) if a subscriber has a family at the time of making a nomination, the nomination shall be in favour of one or more persons belonging to his family. Any nomination made by such subscriber in favour of a person not belonging to his family shall be invalid;

(v) a fresh nomination shall be made by the subscriber on his marriage and any nomination made before such marriage shall be deemed to be invalid;

(vi) if at the time of making a nomination the subscriber has no family, the nomination may be in favour of any person or persons but if the subscriber subsequently acquires a family, such nomination shall forthwith be deemed to be invalid and the subscriber shall make a fresh nomination in favour of one or more persons belonging to his family;

(vii) where the nomination is wholly or partly in favour of a minor, the subscriber may, for the purposes of this Scheme, appoint a major person of his family, to be the guardian of the minor nominee in the event of the subscriber predeceasing the nominee and the guardian so appointed;

(viii) where there is no major person in the family, the subscriber may, at his discretion, appoint any other person to be a guardian of the minor nominee;

(ix) a nomination made under the National Pension System may at any time be modified by a subscriber after giving a written notice of his intention of doing so in the form specified. A nomination or its modification so made shall take effect to the extent that it is valid on the date on which it is received by the intermediary under the National Pension System;

(x) if a subscriber proves that his spouse has ceased, under the personal law governing him or her, or the customary law of the community to which the spouses belong, to be entitled to maintenance he or she shall no longer be deemed to be a part of the subscriber's family for the purpose of this Scheme, unless the subscriber subsequently intimates by express notice in writing to the designated intermediary for the purpose that he or she shall continue to be so regarded; and

(xi) if a subscriber by notice in writing to the designated intermediary for the purpose expresses her desire to exclude her husband from the family, the husband and his dependent parents shall no longer be deemed to be a part of the subscriber's family for the purpose of this Scheme, unless the subscriber subsequently cancels in writing any such notice.

Explanation I -- For the purposes of this chapter,-

(a) the expression "family",

(i) in relation to a male subscriber, means his legally wedded wife, his children, whether married or unmarried, his dependent parents and his deceased son's widow and children;

(ii) in relation to a female subscriber, means her legally wedded husband, her children, whether married or unmarried, her dependent parents, her husband's dependent parents and her deceased son's widow and children;

Explanation II -- In either of the above two cases, if the child of a subscriber [or as the case may be, the child of a deceased son of the subscriber] has been adopted by another person and if, under the personal law of the adopter, adoption is legally recognized, such a child shall be considered as excluded from the family of the subscriber.

33. Submission of withdrawal application.-A subscriber seeking withdrawal from Tier-I account of the National Pension System shall submit his withdrawal application along with the requirements mentioned thereon to the central recordkeeping agency as per the operational withdrawal and exit guidelines issued by the Authority from time to time.

34. Requirement of submission of documents.-A subscriber seeking withdrawal from Tier-I account of the National Pension System shall submit all the documents as specified on the withdrawal application form. The withdrawal application forms applicable to various categories of the subscribers shall be as per the forms provided by the Authority from time to time.

35. Providing bank account details.-A subscriber seeking withdrawal from Tier-I account of the National Pension System shall provide the Bank details mandatorily apart from Aadhar card or PAN card issued by Income-Tax Department, whichever is available in the section provided in the withdrawal form in order to provide credit of the National Pension System claim amount directly in to their Bank accounts.

36. Mode of payments under National Pension System.-All payments pertaining to withdrawals under National Pension System shall be made through electronic transfer only and the withdrawal amount shall be directly credited to the subscriber or claimant's bank account as furnished in the withdrawal form.

37. Stoppage of last three months deductions by employer.-Contributions deductions under the National Pension System made by the employers from the salary of such subscriber shall be stopped at least three months prior to the date of superannuation, , as may be applicable, to ensure that the exit and withdrawal of the subscriber is smooth and effective. The employer shall settle directly the said last three months contributions at their end with the concerned employee. .

38. Reports and disclosures.-The annuity service provider, the National Pension System Trust or the central recordkeeping agency shall submit such information and reports as required by the Authority in the mode, manner and frequency as specified by the Authority from time to time.

39. Power of the Authority to issue directions and clarifications.-The Authority shall have power to issue necessary directions, restricting the provisions relating to withdrawals and exit, as the case may be, under these regulations, so as to comply with any requirements to move from any other pension or superannuation schemes not covered under the Act, to the National Pension System. The Authority may issue clarifications and guidelines in order to remove any difficulties in the application or interpretation of these regulations.

IndiaCode

[ADVT-III/4/Exty./203/49/15]

HEMANT G. CONTRACTOR, Chairperson

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.